प्रयास

सत्यमेव जयते

वार्षिक पत्रिका **वर्ष 2015**

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
उत्तराखण्ड, देहरादून

हिन्दी दिवस 2014 की तस्वीरें

प्रयास

वार्षिक पत्रिका

पंचम अंक

वर्ष 2015

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड

सी–1/105, वैभव पैलेस, इन्दिरा नगर, देहरादून–248006

सत्यमेव जयते

महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
उत्तराखंड, देहरादून

संदेश

आपके समक्ष 'प्रयास' का पंचम अंक प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। इस पत्रिका के माध्यम से राजभाषा के प्रचार-प्रसार को भी निर्बाध रूप से आगे बढ़ाने का अवसर मिल रहा है। 'प्रयास' के माध्यम से लोगों की लेखकीय क्षमता और उनके अंदर छिपा हुआ कौशल सामने उभर कर आता है जो कहीं न कहीं यह भी दर्शाता है कि सरकारी काम-काज में राजभाषा हिंदी के प्रयोग और प्रगति में उनका परस्पर योगदान रहा है।

हमेशा की तरह इस बार भी इन कार्मिकों ने नवीन रचनाओं के साथ **'प्रयास'** को संवारा है जिसके लिए उन्हें बधाई देता हूँ। संपादक मंडल भी इसके लिए बधाई का पात्र है। पत्रिका को नई दिशा प्रदान करने का इनका यह प्रयास सराहनीय है।

शुभकामनाओं सहित!

(सौरभ नारायण)
महालेखाकार

संदेश....

एक वर्ष के बाद 'प्रयास' का एक और अंक आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यंत खुशी हो रही है। कार्यालय के कर्मचारियों व अधिकारियों ने व्यस्तता के बावजूद पत्रिका के लिए विभिन्न स्तर की रचनाओं का योगदान कर पत्रिका का प्रकाशन संभव बनाया, इसके लिए धन्यवाद।

मुझे आशा है कि हमेशा की तरह इस बार भी यह रचनाएं आपका भरपूर मनोरंजन करेंगी। कार्यालय में राजभाषा की विभिन्न गतिविधियों के साथ-साथ यह पत्रिका भी एक महत्वपूर्ण कड़ी है जो स्व-विवेक, स्वेच्छा और योगदान से हिंदी के प्रचार-प्रसार में सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को एक साथ लाकर कार्यालयी कामकाज की शोभा बढ़ाती है। 'प्रयास' का यह अंक इसे सही मायने में दर्शाता है एवं मैं पत्रिका की उत्तरोत्तर प्रगति की कामना करती हूँ।

पत्रिका के प्रति अपने विचारों से हमें अवश्य अवगत कराएं।

शुभकामनाएं!

(प्रीति अब्राहम)
वरिष्ठ उप महालेखाकार
एवं
प्रधान सम्पादक 'प्रयास'

संदेश....

'प्रयास' के पंचम अंक के प्रकाशन पर अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है। कार्यालय के सभी अधिकारी व कर्मचारी–गण द्वारा राजभाषा हिंदी का कार्यालयी काम–काज में प्रयोग एवं समय–समय पर आयोजित हिंदी संबंधित गतिविधियां राजभाषा हिंदी के प्रचार–प्रसार का वातावरण सृजित कर रही हैं। 'प्रयास' पत्रिका इन्हीं प्रयासों का मूर्त रूप है।

कार्यालय के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को 'प्रयास' के पंचम अंक के प्रकाशन की बधाई!

अनुभव

(अनुभव कुमार सिंह)
वरिष्ठ उप महालेखाकार

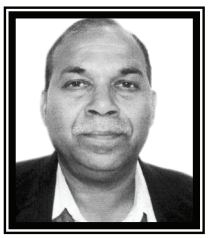

संदेश....

मुझे खुशी है कि कार्यालय की गृह पत्रिका 'प्रयास' का पंचम अंक प्रकाशित किया जा रहा है। राजभाषा हिन्दी के प्रति अधिकारयों एवं कर्मचारियों के उत्साह को देखकर भी प्रसन्नता होती है।

'प्रयास' के पंचम अंक के सफलता पूर्वक प्रकाशन के लिए मैं इसके समस्त रचनाकारों तथा सम्पादक मंडल को बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि कार्यालय के सभी कर्मचारी/अधिकारी राजभाषा की गतिविधियों में भरपूर सहयोग देंगे।

शुभकामनाओं सहित!

(रामपाल सिंह)
उप महालेखाकार

।।जननी जन्म भूमिस्च, स्वर्गादपि गरिस्यते।।

सम्पादकीय....

आपके समक्ष 'प्रयास' पत्रिका का पाँचवां अंक समर्पित करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। सभी रचनाकारों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ जिनके असीम सहयोग से पत्रिका का प्रकाशन संभव हुआ।

मुझे विश्वास है कि नवीन रचनाओं का संकलन, 'प्रयास' का यह अंक आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। इसके रचनाकार, विशाल वृक्ष की शाखाओं की तरह ही हैं जिनके मजबूत इरादों की बदौलत पत्रिका का पंचम अंक आपके समक्ष प्रस्तुत है। कठिन परिस्थितियों में भी राजभाषा के क्रिया-कलापों में इनका भरपूर सहयोग मिलता रहा है। हमारा प्रयास है कि यह पत्रिका, सरकारी काम-काज में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने और राजभाषा के रूप में हिंदी के व्यापक प्रचार-प्रसार की दिशा में एक उत्कृष्ट माध्यम बने। इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए, हम सब को, हिंदी के सरलतम रूप को अपनाने और विकसित करने के उद्देश्य से एकजुट होकर कार्य करना होगा।

पत्रिका को संवारने और त्रुटिरहित बनाने हेतु भरपूर कोशिश की गई है। पाठकगणों से सादर अनुरोध है कि पत्रिका को पढ़ने के बाद इसके प्रति अपनी प्रतिक्रिया से हमें अवगत कराएं ताकि इसके प्रकाशन को सुन्दर, नियमित तथा बेहतर बनाया जा सके।

(राकेश रंजन मिश्रा)
हिन्दी अधिकारी

पत्रिका परिवार

संरक्षक	:	श्री सौरभ नारायन, महालेखाकार
प्रधान संपादक	:	श्रीमति प्रीति अब्राहम, वरिष्ठ उप महालेखाकार
परामर्शदाता	:	श्री पी॰एस॰ रावत, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
संपादक	:	श्री संजय राज़दान, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
उपसंपादक	:	श्री राकेश रंजन मिश्रा, हिंदी अधिकारी
संकलनकर्ता	:	सुश्री रेखा, कनिष्ठ हिंदी अनुवादक श्री हरिओम, लेखापरीक्षक
सहायक	:	श्रीमति रेशू चौधरी, डी॰ई॰ओ॰ श्री राजू, एम॰टी॰एस॰

पत्रिका के चतुर्थ अंक के प्रति आपके अनमोल विचार

आपके कार्यालय की हिंदी पत्रिका 'प्रयास' के चतुर्थ अंक की एक प्रति प्राप्त हुई। एतदर्थ धन्यवाद।

'प्रयास' के सभी लेख प्रभावी, प्रासंगिक और एक से एक बढ़कर हैं। कविताएं भी भावपूर्ण एवं सार्थक तथा मन को छू लेने वाली हैं।

सभी रचनाकार एवं संपादक मंडल बधाई के पात्र हैं। आशा है कि 'प्रयास' राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार के साथ-साथ कार्यालय के कर्मचारियों/अधिकारियों की हिंदी मौलिक लेखन प्रतिभा को बढावा देने में प्रेरक भूमिका निभाएगी।

'कुरिंजि' परिवार आपके 'प्रयास' के सफल प्रकाशन एवं सुदंर छपाई के लिए आपको बधाई देती है तथा 'प्रयास' के अनवरत प्रकाशन एवं उत्तरोत्तर प्रगति की कामना करती है।

हार्दिक शुभकामनाएं।

हिंदी अधिकारी
कार्यालय महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा) तमिलनाडु, चेन्नई

आपके कार्यालय की हिन्दी गृह पत्रिका 'प्रयास' के चतुर्थ अंक की प्रति प्राप्त हुई, धन्यवाद। पत्रिका में प्रकाशित सभी रचनायें उच्च स्तर की हैं। रचनाओं का यह उत्कृष्ट संकलन आपके कार्यालय की रचनात्मक प्रतिभा का दर्पण है।

श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव का लेख "सामाजिक परिवर्तन की एक छोटी सी कोशिश", सुश्री हेमलता गुप्ता की कविता "बेटी पिता से", श्री अश्विनी कुमार पांडेय की कविता "राष्ट्रभाषा" श्री प्रभाकर दुबे का लेख "ईष्या एवं प्रतिशोध की भावना से बचें" एवं सुश्री चित्रा दुबे की कविता "नारी से ही चलता सारा जहान है" विशेष सराहनीय है।

पत्रिका के सफल सम्पादन हेतु सम्पादक मण्डल को बधाई व पत्रिका की उत्तरोत्तर प्रगति एवं उज्जवल भविष्य हेतु शुभकामनाएं।

हरीश चंद्र माखीजा, हिंदी अधिकारी
कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक.) राजस्थान, जयपुर

आपके कार्यालय द्वारा प्रेषित हिन्दी पत्रिका 'प्रयास' के चतुर्थ अंक की एक प्रति इस कार्यालय मे प्राप्त हो गई है। इसमें संकलित सभी रचनाएं पठनीय हैं। श्री अगम सिंह की "भारत देश महान", श्री नीरा अग्रवाल की "अनमोल रिश्ता", श्री प्रभाकर दुबे की "माँ की मूरत सारी है" एवं सुश्री अल्का की "सिसकती हिन्दी" प्रशंसनीय है।

पत्रिका की सफलता एवं प्रगति हेतु बधाइयां शुभकामनाएं।

लेखाधिकारी/हिंदी
कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

इस कार्यालय में हिन्दी गृह पत्रिका 'प्रयास' के चतुर्थ अंक का प्रेषण प्राप्त हुआ है। तदहेतु धन्यवाद।

पत्रिका में समाहित सभी लेख, कहानियाँ एवं कविताएं, पठनीय, मनोरंजक एवं ज्ञानवर्धक है। पत्रिका के प्रकाशन हेतु उपयोग में लाई गई सामग्री बहुत उत्कृष्ट है। श्री अगम सिंह द्वारा रचित कविता "भारत देश महान" सुश्री रेखा द्वारा लिखित लेख "लोकतंत्र", श्री विनीत कुमार राही द्वारा रचित कविता "गजल" विशेष रूप से सराहनीय है।

पत्रिका का आवरण चित्र विशेष रूप से उल्लेखनीय है। मुखपृष्ठ संकल्पना प्रशंसनीय है। पत्रिका के सफल प्रकाशन के लिए बधाई एवं पत्रिका की उत्तरोत्तर प्रगति के लिए शुभकामनाएं।

श्रीमति कांता जोध, हिंदी अधिकारी
कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक) II, महाराष्ट्र, नागपुर

हिन्दी वार्षिक गृह पत्रिका 'प्रयास' के चतुर्थ अंक की प्रतियां प्राप्त हुई, धन्यवाद। पत्रिका में समाहित संपूर्ण रचनाएं ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगी। पत्रिका के माध्यम से राजभाषा उन्नयन हेतु विभाग का यह कार्य स्तुत्य एवं सराहनीय है। "सुख बनाम सुविधाएं" "लोकतंत्र" सुश्री रेखा, "समय का सदुपयोग" आरती बिष्ट, "माँ का कर्ज" सुश्री हेमलता गुप्ता, "विनाश की ओर" श्री योगेश त्यागी का आलेख सराहनीय है। पत्रिका का कलेवर एवं पृष्ठ अत्यंत आकर्षक है।

पत्रिका के सफल सम्पादन रचनाओं के चयन, संकलन एवं प्रकाशन हेतु सम्पादक तथा सम्पादकीय परिवार के सभी सदस्यों को बधाई और पत्रिका के उत्तरोत्तर प्रगति हेतु हार्दिक शुभकामनाएं।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
प्रधान महालेखाकार का कार्यालय (सा.व.सा.क्षे.ले.प) कर्नाटक, बैंगलोर

आपके कार्यालय की हिंदी गृह पत्रिका 'प्रयास' का चतुर्थ अंक प्राप्त प्राप्त हुआ, तदहेतु धन्यवाद।

पत्रिका के आवरण के साथ साथ पृष्ठों की भी साज-सज्जा अत्यन्त आकर्षक हैं। पत्रिका में समाविष्ट सभी रचनाएँ पठनीय, ज्ञानवर्धक एवं संग्रहणीय हैं। विशेषकर सुश्री रेखा की "सुख बनाम सुविधाएं" श्री अरविन्द कुमार उपाध्याय का "आधुनिक दोहे (व्यंगात्मक)" एवं "एक कदम, बचपन की ओर", श्री अशोक कुमार का "रहिमन पानी राखिये" श्री प्रभाकर दुबे की कविता "माँ की मूरत सारी हैं" एवं श्रीमती हिना सलीम की कविता "आईना जिंदगी का" का अत्यन्त ही सराहनीय हैं।

पत्रिका के उत्तम सम्पादन एवं संकलन हेतु सम्पादन मंडल के सभी सदस्यों को साधुवाद तथा पत्रिका की निरंतर प्रगति हेतु हमारी हार्दिक शुभ कामनाएँ।

आनन्द कुमार पाण्डेय, सहायक लेखा अधिकारी
प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) पश्चिम बंगाल, कोलकाता

अनुक्रमणिका

क्र॰	रचना	लेखक	पृष्ठ संख्या
1.	पहाड़ से पलायन: उजड़ते गाँव, कराहते पहाड़	लक्ष्मण सिंह	1
2.	विवाह एक अटूट बंधन	मुकेश कुमार	3
3.	बेबस किसान, लाचार कृषि	रेखा	5
4.	बरगद का पेड़	संतोष कुमार गुप्ता	8
5.	सरहद के इस पार और उस पार	एम॰एस॰ गर्ब्याल	13
6.	जोरू का गुलाम	राजू	16
7.	शिक्षा में अनुशासन की भूमिका	राकेश रंजन मिश्रा	18
8.	एक लड़की दीवानी सी	सूर्य पाल	19
9.	एयरपोर्ट पे धरना (हास्य-व्यंग्य)	संतोष कु॰ गुप्ता	20
10.	ग़ज़ल	सुशील देवली	21
11.	सफलता के सात सूत्र	संजु रानी	22
12.	शिव–शक्ति	प्रशांत जोशी	23
13.	यदि कबीर आज जिन्दा होते	अशोक कुमार	24
14.	भारत के वित्तीय प्रहरी	एम॰एस॰ गर्ब्याल	27
15.	ग़ज़ल	हरि ओम	31
16.	सत्ता एवं लोकतन्त्र	पी॰के॰ श्रीवास्तव	32
17.	भाया देहरादून	अगम सिंह	35
18.	नारी मन	हेमलता गुप्ता	36
19.	क्यों न चलें साइकिल की ओर	प्रभाकर दुबे	37
20.	धर्म और वैमनस्यता	अश्विनी कुमार पाण्डेय	40
21.	जिन्दगी	अजय त्यागी	41
22.	बेटियाँ	प्रभाकर दुबे	42
23.	व्यथा	महावीर सिंह रावत	43
24.	होली	अश्विनी कु॰पाण्डेय	44
25.	आओ करे पानी संरक्षण	अजय कुमार मिश्रा	45
26.	निर्मल गंगा व अन्य नदियों का वर्तमान..	जतिन राणा	47
27.	मेरा गाँव	अरविंद कुमार उपाध्याय	50

28.	राजभाषा हिन्दी	पवन कोठारी	51
29.	ग़ज़ल	विनीत कुमार राही	53
30.	बढ़ती जनसंख्या-घटते संसाधन	हरि ओम	54
31.	बिटिया	हिना सलीम	56

मुख्य पृष्ठ : गंगोत्री धाम

पार्श्व पृष्ठ : बद्रीनाथ धाम

पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार रचनाकारों के निजी हैं, उनसे संपादक मण्डल और प्रकाशक का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

मूल्य : राजभाषा के प्रति निष्ठा

पहाड़ से पलायनः उजड़ते गाँव, कराहते पहाड़

-लक्ष्मण सिंह
लेखापरीक्षक

हिमालय की गोदी मे बसा यह उत्तराखण्ड राज्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता एवं अद्भुत पहाड़ी संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की खूबसूरत पहाड़ियाँ, उन पर बसे खूबसूरत छोटे-छोटे गाँव, सीढ़ीनुमा खेतों में लहलहाती फसलें, उन पर सजे हरे-भरे वन प्रत्येक प्रकृति प्रेमी को अनायास ही अपनी ओर आकृष्ट करते हैं।

प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर इस राज्य का लगभग 67 प्रतिशत क्षेत्र वन आच्छादित है। देश की कई महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम स्थल भी यहीं है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री चारों धामों सहित अन्य कई तीर्थस्थल भी इसी राज्य में हैं जो पर्यटन एवं तीर्थ के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। इसी कारण इस प्रदेश को देवभूमि भी कहा जाता है।

अपने खूबसूरत छोटे-छोटे गाँवों एवं अद्भुत पहाड़ी संस्कृति के लिए प्रसिद्ध इस पहाड़ी राज्य को पिछले कुछ वर्षों से पलायन का दंश झेलना पड़ रहा है। यहाँ के जनमानस ने बेहतर रोजगार, शिक्षा एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं की तलाश में जो शहरों की ओर रुख किया, उसी के परिणामस्वरूप आज पलायन की विकट समस्या का जन्म हुआ है ।

उत्तराखण्ड में लगभग 16000 छोटे-बड़े गाँव हैं। पलायन के कारण गाँव के गाँव खाली होते जा रहे हैं, जो वीरान खंडहर एवं बंजर भूमि में परिवर्तित होते जा रहे हैं। विगत कुछ वर्षों में 1200 से भी ज्यादा गाँव पूर्णतया खाली हो चुके हैं जो खंडहर बने मकानों के रूप में अपनी मौजूदगी दिखा रहे हैं। कभी बच्चों की किलकारियों, लोगों के ठहाकों, हुक्कों की गुडगुडाहट, बैलों की खांकरों, मेलों एवं त्योहारों से रौनक रहे ये गाँव आज इंसानी चेहरा देखने तक को मोहताज हो गए हैं। जिन गाँवों मे अभी लोग रह भी रहे हैं, वहाँ भी हालात कुछ ज्यादा अच्छे नहीं हैं। रोजगार एवं अपने नौनिहालों की बेहतर शिक्षा के कारण नई पीढ़ी उन परिंदों की तरह गाँव छोड़कर शहर चली गयी जो कभी वापस अपने घोसलों में लौटकर नहीं आते। वे गाँव में बने अपने पूर्वजों के बड़े-बड़े मकानों, खेत खलिहानों को छोड़कर बड़े शहरों में किराए के कबूतरखानों में रहने को मजबूर हैं।

आज ये पहाड़ी गाँव लगभग वृद्धा-आश्रमों में तब्दील होते दिखाई दे रहे हैं, जहाँ केवल बूढ़ी सुर्ख आँखे अपनों के वापस आने की आस में जीवन बिताने को मजबूर हैं। भले ही गर्मियों की छुट्टियों, शादी-ब्याह, एवं तीज-त्योहारों में थोड़ी-बहुत चहल-पहल दिखाई देती हो, परंतु अन्य समय तो ये बुजुर्गों के आश्रम ही दिखाई देते हैं।

ऐसा लगता है कि अपने पूर्वजों की धरोहर इन पहाड़ी गाँवो की संस्कृति एवं सभ्यता को बचाए रखने की सारी ज़िम्मेदारी इन बुजुर्ग कंधों पर टिकी रह गयी है, जो इसके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। परंतु इस पीढ़ी के गुजर जाने के बाद क्या होगा, यह एक यक्ष प्रश्न है।

जहाँ एक ओर शहरों की जनसंख्या में बेहताशा वृद्धि हुई है, वहीं आंकड़े गाँवो की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर्शाते हैं। अगर पलायन के कारणों पर ध्यान दें तो इसका मुख्य कारण रोजगार, स्वास्थ्य सुविधाओं एवं बेहतर शिक्षा के अभाव के साथ-साथ विषम भौगोलिक परिस्थितियाँ एवं सरकार का पहाड़ों के प्रति उदासीन रवैया है।

एक ओर प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन संसाधनों को समाप्ति की ओर ले जा रहा है तो दूसरी ओर मनुष्यों के प्रति वानर एवं अन्य वन्य जीवों के रोषपूर्ण रवैयों में भी इजाफा कर रहा है। खेतों में हाड़-तोड़ मेहनत करने के उपरांत भी सिंचाई के अभाव में उपज नगण्य हो रही है। पहाड़ों पर पर्यावरणीय परिवर्तनों के कारण नए खतरे पैदा हो रहे हैं, जो भूस्खलन, अचानक बाढ़, बादल फटने जैसी विनाशकारी आपदाओं को जन्म दे रहा है, जिससे कई गाँव असुरक्षित भी घोषित किए गए हैं।

विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण राज्य का विकास पहले से ही उपेक्षित रहा है। रोजगार की दृष्टि से देहरादून, हल्द्वानी, काशीपुर, रुड़की, हरिद्वार आदि कुछ मैदानी शहरों को छोड़कर उत्तराखण्ड का पर्वतीय भाग विकास विहीन रहा है। अलग राज्य बनने के बाद भी जो परिदृश्य देखने को मिला है उससे नहीं लगता है कि राज्य के पास कोई ऐसा जिम्मेदार नेता अभिभावक के रूप में है जो पार्टीगत खींचतान एवं तुष्टीकरण से ऊपर निकल कर राज्य के हित में खड़ा हो सके।

पहाड़ से पलायन को रोकना केवल राज्य ही नहीं अपितु राष्ट्रहित में भी अति आवश्यक है। सीमांत राज्य होने के कारण पहाड़ों का खाली होना राष्ट्र की सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत खतरनाक होगा, जिसे समय रहते रोका जाना अति आवश्यक है।

राज्य सरकार को केंद्र सरकार के साथ मिलकर पलायन की इस विकट समस्या से निपटने के लिए समुचित योजना बनाने एवं उस पर कार्य करने की आवश्यकता है। राज्य में प्राकृतिक संसाधनों के साथ-साथ पर्यटन की भी अपार संभावनाएं हैं, जिनका विवेकपूर्ण उपयोग राज्य में रोजगार की उपलब्धता प्रदान कर सकता है। साथ ही सरकार को गाँवो में बेहतर शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराने एवं कृषि को बढ़ावा देने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए।

सरकार के साथ-साथ हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम नयी पीढ़ी को पहाड़ों की सभ्यता एवं संस्कृति से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें, जिससे उनका लगाव इस देवभूमि से बना रहे और इसकी सभ्यता एवं संस्कृति का सरंक्षण कर पलायन रोकने को अपना उत्तरदायित्व समझते हुए प्रभावशाली भूमिका अदाकर अपना महत्वपूर्ण योगदान कर सकें।

विवाह एक अटूट बंधन

-मुकेश कुमार
लेखापरीक्षा अधिकारी (वाणिज्यिक)

मानव प्रकृति का अभिन्न अंग है, तथा प्रकृति के साथ चलना मानव का कर्तव्य है। प्रकृति स्वयं भी मानव को छोड़ना नहीं चाहती। वह मानव को अपने पथ का पथिक बनाकर उसकी जीवन वाटिका में भी बसन्त लाना चाहती है, जिससे उसका जीवन फूलों की तरह महकता रहे। प्रकृति अपने सिद्धान्त को मानव के जीवन में विवाह के द्वारा सम्पूर्ण करती है। विवाह के गठबंधन में बंधे हुए स्त्री-पुरूष का जीवन अनुपम सहानुभुति, असीम विश्वास, अपार संयम का जीवन है। प्रकृति परस्पर सहानुभुति और संयम का संदेश देती है। जो प्रकृति के इस मर्म को समझते हैं और प्रेम से अपनी यात्रा प्रारम्भ करते हैं, उनके जीवन-पथ पर सुख-शांति के फूल खिलते हैं, अन्यथा उनका जीवन काँटो और झाड़ियों का जंगल बन जाता है।

आजकल विवाह की इच्छा से जब कोई युवक अपने भावी जीवन साथी को देखने जाता है तो उसके हृदय में यही अभिलाषा होती है कि उसकी होने वाली पत्नी किसी अप्सरा की तरह सुन्दर हो तथा अधिकतर मामलों में उसकी स्वीकृति का आधार भी उसका रूप ही होता है। उसके सुन्दर और मनोरम रूप के अन्दर क्या होगा यह देखना तो वह भूल ही जाता है। यहीं पर उसकी आँखे उसके साथ विश्वासघात करती हैं तथा ऐसा धोखा देती हैं कि मनुष्य आजीवन पश्चाताप की भट्टी में जलता रहता है। इसलिए जो युवक विवाह के पूर्व आन्तरिक/हार्दिक सौन्दर्य को अनदेखा कर केवल शारीरिक सौन्दर्य अर्थात् बाह्य रूप को ही खोजते हैं, वे प्रायः धोखा खाते हैं और जीवन के वास्तविक सुखों से वंचित रह जाते हैं क्योंकि हृदय का वह सौन्दर्य उन्हें नहीं मिलता जो मानव के जीवन को ऊँचा उठाता है और दाम्पत्य जीवन में पग-पग पर जिसकी अत्यन्त आवश्यकता पड़ती है।

जब तुम विवाह के स्वर्ण रथ पर चढ़ने जा रहे हो, तब अपने हृदय को टटोल कर देखो, कि उसमें होने वाली पत्नी के लिए कितनी सौम्य भावना है। वैवाहिक जीवन के प्रति यह बड़ा अन्याय होगा कि तुम अपने मन को न टटोलकर केवल अपनी पत्नी के मन को ही टटोलो, उसे कुछ ना देकर केवल उसी से ही सब कुछ पाने की कल्पना करो। तुम्हारी कितनी ही उमंगें तुम्हारे हृदय में समायी होंगी। अक्सर, हर युवक का हृदय विवाह के पूर्व ऐसी ही रंगीन उमंगों की रंग भूमि बन जाया करता है कि उसकी भावी पत्नी रूपवती, गुणवती, शिक्षित एवं नम्रता की देवी हो।

अगर ठीक उसी प्रकार की कल्पनाएँ उसके कोमल हृदय में भी उठ रहीं हों, जो तुम्हारे हृदय के साथ बँधने जा रही है, वह भी अपनी सुनहरी सोच उसी प्रकार बुन रही हो जिस

तरह तुम बुन रहे हो, तो क्या इस तरह के व्यक्तिगत सुखों की कोरी कल्पनाएँ जीवन को आनन्द के फूलों से सुगंधित कर सकती हैं? नही! इस प्रकार व्यक्तिगत सुखों की कोरी कल्पनाएँ दम्पति को कुछ ही दिनों के पश्चात् विलग होने के लिए विवश कर देती हैं। आज के समाज में उन युवकों व युवतियों की ओर देखो, जो विवाह के संबंध में प्रकृति के सिद्धान्तों की उपेक्षा करके जीवन को सांसारिक सुख सुविधाओं की अग्नि में जला रहे हैं, क्या ऐसे युवकों व युवतियों के जीवन में सुख, शान्ति और संतोष है? नहीं! भले ही अनैतिकता और सांसारिक सुख सुविधाओं की रंगीन लहरें कुछ दिनों के लिए आनंद में डुबो देती हों, किन्तु उनका शेष जीवन असंतोष में रोते ही बीतता है। अतृप्ति में छटपटाते ही कटता है। वे बेचारे जानते ही नहीं कि जीवन में सुख व शान्ति क्या होती है। सांसारिक सुख सुविधाओं की चमचमाती हुई ओस-बूँदों के मोह में वे हीरे की कणियों को छोड़ देते हैं और फिर हमेशा रोते ही जीते हैं, रोते ही मरते हैं। क्योंकि किसी ने ठीक ही कहा है कि, "चमकने वाली हर वस्तु सोना नहीं होती"।

इसलिए यदि तुम्हारी पत्नी में शारीरिक अर्थात् बाह्य सौन्दर्य कम हो, और हार्दिक सौन्दर्य *(हृदय के वह गुण, सहिष्णुता, उदारता, मधुरता, गंभीरता, सादगी, मितव्ययिता, गृह कला में निपुण, सच्चरित्रता, आत्म-दृढ़ता एवं स्वस्थता, जो एक साथ मिलकर इस सौन्दर्य का सृजन करते हैं, इसे ज्योतिर्मय बनाते है। इन्हीं गुणों के पुंज का नाम हार्दिक सौन्दर्य है)* अधिक हो, तो उसका हृदय से सम्मान करो, क्योंकि पत्नी के हृदय का सौन्दर्य तुम्हें आत्म बल प्रदान करेगा, हार्दिक सौन्दर्य की कुछ विचित्र ही ज्योति होती है, उसकी ज्योति से वे भव्य मालूम होती हैं। अतः पत्नी में हृदय का सौन्दर्य पाकर तुम बड़े-बड़े संकटों को पार कर जाओगे, जीवन संग्राम में विजयी होगे। तुम्हारा जीवन तो आनन्द से परिपूर्ण रहेगा ही, तुम्हारा घर संसार भी किसी वाटिका की भाँति सुगन्धित प्रतीत होगा। इसके विपरीत यदि तुम शारीरिक सौन्दर्य अर्थात बाह्य सौन्दर्य को ही महत्व दोगे तो अपनी यात्रा के मध्य में ही गिर पड़ोगे और फिर उठने का साहस भी न कर सकोगे। आजकल हमारे देश में लगातार बढ़ते तलाक के मामले इसका जीवंत उदाहरण हैं।

चूंकि विवाह कोई खेल नहीं है। जन्म जन्मान्तर के लिए एक अटूट बंधन है। जिसकी नींव किसी विशाल इमारत की नींव की तरह होनी चाहिए जो किसी भी परिस्थिति में बिना डगमगाये, विश्वास के साथ खड़ी रहे। अतः शादी के बाद **'पति-पत्नी रूप, धन व सांसारिक सुख सुविधाओं के बंधनों में नहीं अपितु धर्म, कर्तव्य और उत्तरदायित्व की प्रेम डोर में बंधे हों। दोनों सहयात्रा प्रारम्भ करें तो प्रेम और विश्वास के साथ, एक की मनोकामना दूसरे का लक्ष्य हो, और एक की आशा, दूसरे का उद्देश्य। त्याग जीवन का धर्म हो और उत्तरदायित्व जीवन का महाव्रत'**। इस प्रकार के विचारों का अनुकरण करने से आपका जीवन किसी वाटिका के वैभव जैसा परिपूर्ण हो जायेगा।

बेबस किसान, लाचार कृषि

- रेखा

कनिष्ठ हिंदी अनुवादक

भारत कृषि प्रधान देश है। बचपन से यह बात पढ़ते और सुनते आए हैं हम। परंतु इस कृषि के कारण ही आज हमारा अन्नदाता किसान अपना जीवन छोड़ने को मजबूर है। वैदिक युग से ही कृषि को महत्व दिया जाता रहा है। ऋग्वेद में भारतीय कृषि के गीत हैं। किसान गीत गाते हुए मस्त रहते और खेती करते थे। उस समय के कवियों की प्रेरणा हुआ करते थे किसान। ऋषि कहते थे कि उसी प्रकार मस्त रहो जैसे किसान रहता है। परंतु आज स्थिति ठीक इसके विपरीत है। किसान आज मर रहा है। इससे बड़ी विडम्बना कुछ हो ही नहीं सकती कि देश का अन्नदाता अपने प्राण छोड़ने को मजबूर है।

प्राचीन समय से चली आ रही हमारी कृषि व्यवस्था को पहली नज़र अंग्रेजी राज की लगी, जिसकी नीतियों के चलते खेती की दुर्दशा प्रारम्भ हुई। अंग्रेज विशुद्ध व्यापारी थे केवल मुनाफा कमाना ही उनका लक्ष्य था। रही-सही कसर स्वतंत्रता पश्चात की नीतियों ने पूरी कर दी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है की परम्परागत सिंचाई की सीमित सुविधा, छोटी जोत, महंगे कर्ज, बिजली-पानी की अपर्याप्तता जैसी समस्याओं के बावजूद भी किसान आत्महत्या जैसा भयानक कदम नहीं उठाते थे।

प्राकृतिक आपदाएँ पहले भी आती रही हैं। व्यापक पैमाने पर अकाल, सूखा, बाढ़ जैसी आपदाएँ आती थी पर किसान हारता नहीं था। परंतु पिछले दो दशकों में लाखों किसान अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुके हैं। प्रश्न है कि क्या प्राकृतिक आपदा के कारण ही किसान आत्महत्या को मजबूर हैं? आपदा नहीं आयी होती तो क्या किसान वैदिक समय की भाँति खुशहाल होता? आधुनिक एवं वैज्ञानिक युग में आखिर क्या गलती हुई हमसे, जो कृषि विकास के बजाय विनाश में तब्दील हो गयी।

किसानों की समस्याएँ अनगिनत हैं। बजट के आबंटन में कृषि की उपेक्षा हुई है। जितना विकास अन्य क्षेत्रों का हुआ कृषि का नहीं हुआ। कृषि क्षेत्र पर 52 से 55 प्रतिशत लोग आश्रित हैं। संविधान निर्माताओं ने भी कृषि और पशुपालन को नीति-निदेशक तत्वों में स्थान दिया। कृषि की दुर्दशा का सीधा संबंध अदूरदर्शी आर्थिक नीतियों से है। महंगे बीज, उर्वरक, कीटनाशक, गिरते भूजल स्तर, बढ़ती मजदूरी के कारण खेती की लागत में बढ़ोतरी हो रही है। सरकार ने हालांकि अपनी ओर से काफी सराहनीय प्रयास किए हैं, लेकिन बिचौलियों और भ्रष्टाचार के कारण किसानों को पूरा लाभ नहीं मिल पाता।

आजकल व्यावसायिक खेती का प्रचलन बढ़ा है। पहले किसान बहुफसली व्यवस्था अपनाता था। एक फसल में अधिक उत्पादन दूसरी फसल के कम उत्पादन की भरपाई कर देता था। परंतु आज एक फसली व्यवस्था में किसान पर दबाव बढ़ता है। उदाहरण के रूप में पिछले साल किसानों को आलू की अच्छी कीमत मिली, जिससे उत्साहित होकर किसानों ने कर्ज लेकर आलू की खेती की, लेकिन फसल तैयार होने से पहले ही ओलावृष्टि एवं बारिश ने किसानों का गणित ही बिगाड़ दिया।

उदारीकरण के दौर के प्रारम्भ के साथ ही भारतीय कृषि को वो सुविधाएँ नहीं मिलीं जो विश्व के अन्य किसानों को मिलीं। हमारे किसान फसल बीमा के बारे में अभी भी जागरूक नहीं हैं। बीमा की प्रीमियम राशि महंगी है। चीन में फसल बीमा की प्रीमियम का 60 प्रतिशत सरकार देती है। इस प्रकार उदारीकरण व्यवस्था से विकसित देशों की सरकारें और एग्रो बिजनेस कम्पनियाँ भारतीय बाजार में पैठ बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ रही हैं।

खाद्य सुरक्षा कानून कभी खाद्य की सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता जब तक कि खेती में बढ़ोतरी न हो। इसकी कल्पना करना भी भयावह लगता है कि अगर वो दिन आए जब खेती बिल्कुल ही बंद हो जाए तो हम खाएंगे क्या? विदेशों से भी कितना आयात किया जा सकता है? कल्पना करें कि सीमेंट या सरिया उद्योग एक-दो साल न चलें तो कुछ पूंजीपति, बिल्डर, मजदूर बेरोजगार होंगे, लेकिन कृषि क्षेत्र दो साल तक न चले तो जनजीवन कितना अस्त-व्यस्त हो जाएगा। महंगाई आसमान छूने लगेगी। कुछ आवश्यक वस्तुएँ मिलना भी दूभर हो जाएगा। कृषि हमारी रीढ़ है और सोचिए कि जब रीढ़ ही कार्य न करे या कार्य करना बंद कर दे तो हम पंगु बन जाते हैं।

आजकल के युवाओं की मानसिकता भी खेती-किसानी को दोयम दर्जे का समझती है। स्वयं किसान की संतान भी नहीं चाहती कि वह किसान बनकर जीवन भर खेतों में पसीना बहाए और परिणाम शून्य प्राप्त हो। हमारे समाज, मीडिया व सरकार को कृषि के प्रति यह सोच बदलने का प्रयास करना चाहिए।

हमारे देश की आबादी जिस गति से बढ़ रही है, रोजगार व उत्पादकता उस गति से नहीं बढ़ रहे हैं। 1950-51 में देश की जी॰डी॰पी॰ में कृषि क्षेत्र का योगदान 55 प्रतिशत था। जो आज महज 15 प्रतिशत रह गया है। जबकि इस दौरान कृषि पर निर्भर लोगों की संख्या 24 करोड़ से बढ़कर 72 करोड़ हो गयी है। कृषि में कम आमदनी का कारण गांव से शहरों की ओर पलायन भी है। हर रोज अनेक किसान खेती छोड़ अन्य व्यवसायों की ओर उन्मुख हो रहे हैं।

वस्तुस्थिति को समझकर हमें अभी से चेत जाना होगा। अन्य राष्ट्रीय आयोगों की तर्ज पर एक राष्ट्रीय किसान आयोग जैसी संस्था बननी चाहिए, जिसमें कृषि वैज्ञानिक, कृषि अभियंता, कृषि विशेषज्ञ एवं कृषक जन मिलकर स्वयं कृषि के बारे में विचार-विमर्श करके महत्वपूर्ण नीतियां बनाने में सहयोग प्रदान करें।

कृषि उत्पादों को नष्ट होने से बचाने के लिए सरकारी वेयरहाउस/गोदाम की व्यवस्था हर जिले में किसान संगठनों को इसका संचालन सौंपते हुए की जानी चाहिए। वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करके फसल को बर्बाद होने से बचाया जा सकता है। किसानों को कृषि के अलावा भी पशुपालन जैसी विधियों की आधुनिक तकनीकों की जानकारी दी जा सकती है। खेती और पशुपालन के साथ-साथ चलने से किसान को आर्थिक हानि की भरपाई करने में सहायता मिलेगी। साथ ही युवाओं को इस ओर आकर्षित करने के लिए बेहतर रोजगार उपलब्ध करवाने चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में भी कृषि संबंधी नए पाठ्यक्रम प्रारम्भ करके कृषि को बचाया जा सकता है। सरकारी स्तर पर प्रयास बहुत किए गए हैं और किए भी जा रहे हैं, बस आवश्यकता है कृषि एवं कृषकों की पीड़ा के मूल में जाने की। अभी तक केवल रोग का उपचार किया जाता रहा है, जरूरत है उसको पहचानकर जड़ से समाप्त करने की। तभी किसान भी और देश भी खुशहाल बन सकेगा।

हिंदी से किसी भी भारतीय भाषा को भय नहीं है, यह सबकी सहोदरा है।

- महादेवी वर्मा

हमारे व्यवहार में हिंदी को काम में लाना देश की शीघ्र उन्नति के लिए आवश्यक है।

-महात्मा गाँधी

बरगद का पेड़

- संतोष कुमार गुप्ता
सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी

लोकल ट्रेन जैसे-जैसे अपनी रफ्तार धीमी कर रुकने लगी, दिल की धड़कनों ने बहुत ज्यादा रफ्तार पकड़ लिया। प्लैटफ़ार्म के बाहर छोटा भाई साथ ले जाने के लिए आया हुआ था। आज बहुत दिनों बाद छोटे भाई की शादी मे अपने पैतृक गाँव पहुंचा। मेरी पत्नी और 3 साल की बेटी पहली बार गाँव पहुंचे थे।

घर पहुँचते ही हाथ-मुंह धोया, एक कप चाय पी कर निकल पड़ा अपने अतीत की यादों को एक बार फिर से जीवंत रूप मे महसूस करने। बहुत दिनों बाद गाँव जाने पर पुनर्जन्म जैसा भी महसूस कर रहा था। घर पहुँचने के उत्साह ने यात्रा की सारी थकान मिटा दी। खैर, सबसे पहले उस प्राइमरी पाठशाला के अहाते मे पहुंचा जहां जिंदगी का क, ख, ग, घ.....सीखा। शाम का 5-6 बजे का फागुन के महीने का समय, मगर कोई शोर-शराबा नहीं, बिलकुल शांत वातावरण। कुछ बकरियाँ और उनके बच्चे निर्विकार भाव से नरम-नरम दूब-घास को टूँगते हुए अपने में-में की आवाज से सन्नाटे को चीर रहे थे। कुछ समय बाद एक दुबला सा लड़का उन बकरियों को हांक कर ले जाने लगा, तो मैंने उस से पूछ लिया- 'क्या बात है, कोई दिखाई नहीं दे रहा है?' उसने जवाब दिया-'सभी लोग टेलीविजन देख रहे होंगे'। यह वही प्राइमरी पाठशाला का अहाता था जहां पूरे गाँव के बच्चे सुबह से लेकर शाम तक डटे रहते थे। सबको अपने पसंद का खेल खेलने की लोकतांत्रिक आजादी थी। वही खेल-प्रांगण इस समय सुना पड़ा हुआ था।

बरबस ही एक शेर दिमाग मे कौंध गया:

उदास रहता है मोहल्ले में बारिशों का पानी आजकल,
सुना है कागज की नाव बनाने वाले अब बड़े हो गए...!!

आज खपरैल की जगह पक्की इमारत है, एक पुराना सूखा कुआं, जिसे भराईकर के गोल बैठका बना दिया गया है। कभी किसी कुत्ते ने काट लिया तो बड़े-बुजुर्ग कहते थे 'इस कुएं का सात चक्कर लगा कर आओ'। शादी के समय मोहल्ले की औरतें मंगल-गीत गाती हुई 'माटी-कोड़वा' की रस्म इसी कुएं के जगत पर पूरा करती थीं। हमारी ईंट-ट्रेन भी इसकी परिधि पर चलती थी। बाद में ये कुआं सूख गया, और आज बस स्मृतियों का हिस्सा बन कर रह गया है। थोड़ी देर यहाँ पर बैठा रहा, फिर पाठशाला के पीछे की पगडंडी पकड़ बाजार की तरफ बढ़ गया।

बाजार में बहुत सारी नई दुकानें खुल गईं थी। मसलन मोबाइल-रीचार्ज, डीवीडी, ब्युटि-पार्लर वगैरह की दुकानें जो पहले नहीं थीं। कुछ परिचित चेहरों से दुआ-सलाम, बातचीत हुई। अंदर बड़े बाजार में भी बहुत सारी दुकानें खुल गईं थी, फर्क इतना ही था कि अब छप्पर या खपरैल की जगह पक्की दुकानें बन गयी थीं।

रात गहराने लगी तो एक परिचित की दुकान पर बैठ कर चाय पिया और एक दर्जन समोसे ले कर घर वापस आ गया। समोसे बहुत ही बढ़िया बने थे। बहुत दिनों बाद ऐसा स्वादिष्ट समोसा खाने को मिला। खाना खाने के बाद छोटे भाई ने चेतावनी दी कि 10 बजे लाइट चली जाएगी और फिर सुबह 3-4 बजे से पहले नहीं आएगी, इसलिए जिस कमरे में इंवर्टर लगा है उसमें हम सब सो लें। मैंने पत्नी और बेटी को उस कमरे में भेज दिया और खुद चौथी मंज़िल की छत पर खुले में सोने चल दिया। एक अरसे बाद खुले आसमान के नीचे फर्श पर चादर बिछा के लेट गया। आज लगा की बहुत पुराने दोस्त से मुलाक़ात हो रही है। वही बचपन से जाना-पहचाना तारों से सजा आसमान। जब तक नींद न आए, तब तक एक ही काम होता-आसमान में ध्रुव तारे को देखने या कोई रॉकेट सफ़ेद लकीर बनाते हुए गुजरे तो उसे तब तक देखना, जब तक की वह ओझल न हो जाये। दिन में इसी आसमान के बादलों के बनते-बिगड़ते रूप में विभिन्न आकृतियों - रथ, भूत, बकरी, हाथी, घोड़ा, परियाँ, देवता, साईकिल वगैरह को देखना, मनोरंजन का प्रमुख साधन रहा।

आप जब बिलकुल साफ खुले आसमान के नीचे सो रहे हों तो आसमान इतना ऊपर नहीं लगता, ऐसा लगता है की मकान की छत पर किसी ने बहुत से सितारे टाँक दिये हों। तारों को तोड़ने की बहुत ही प्रबल इच्छा न जाने कहाँ से घर कर गयी। फिर खयाल आया कि इसके लिए तो एक लंबी सी लाठी भी चाहिए। छोटी लाठी से आम, अमरूद तोड़े जाते हैं। कई दिनों के विचार-चिंतन के बाद मुझे एक लंबा डंडा मिल ही गया। हनुमान जी का पताका हर साल फहराया जाता है। पिछले साल के पताका (बांस) को छत पर रख दिया जाता है, क्योंकि उसको काटना या जलाना अच्छा नहीं माना जाता था। मैंने उस सूखे बांस के लगभग 14 फीट लंबे ध्वज के वजन को हिला डुला कर देखा। बड़ी खुशी हुई की इस सूखे हुए बांस को मैं उठा सकता हूँ। अब, रात का इन्तजार करना बड़ा मुश्किल लग रहा था। दिन भर यही सोचता रहा की कितने तारे तोड़ूँगा और दिमाग के लिस्ट में उन लोगों के नाम भी दर्ज करता रहा जिन्हें तारे तोड़ कर देने हैं। रात को अपनी छत पर मैं अकेले सोया था। जब ये तसल्ली हो गयी कि अगल-बगल के छतों पर सोये हुए सभी लोग गहरी नींद में चले गए हैं, तब चुपके से उठा और जय बजरंग बली का मन-ही-मन नाम जपते हुए उस लंबे ध्वज को उठा कर आसमान में लहराने लगा। आश्चर्य, घोर आश्चर्य कि एक भी तारा नहीं टूटा। असफलता ने मेरा दिल तोड़ दिया और मैं टूटे-दिल के साथ चुप-चाप अपने

चादर में दुबक के सो गया। शुभरात्रि! अगले दिन दोस्तों को ये बात बतायी तो सबने एक मत से परामर्श दिया कि – हनुमान जी, अपने ध्वजा को हिलाये जाने से नाराज हो गए होंगे। इसलिए एक भी तारा टूट नहीं पाया।

अगली सुबह, मोबाइल-अलार्म की तीखी आवाज ने नहीं, बल्कि मुर्गे के बांग ने और शीतल ताजी हवा ने जगाया। बहुत दिनों बाद ऐसी सुबह हुई। नाश्ते के समय मेरी माता जी ने कहा कि – इया (दादी), तुम्हें बार-बार याद करती हैं। जाओ मिल आओ।

मेरा ज़्यादातर बचपन अपने घर नहीं, बल्कि इया (दादी) के यहाँ बीता। थोड़ा परिचय इया का भी देना ठीक रहेगा। पड़ोस में ही स्व. रामासरे पांडे (दद्दा) जी की घर है। घर के आगे करीब चार बीघे का आँगन, जिसमें गाय-बैल और दो तीन पुआल की ढ़ेरी लगी हुई। घर के पीछे की तरफ भी चार-पाँच बीघा, इसमे विशाल बरगद का पेड़, एक पीपल, दो आम और जामुन के पेड़ लगे हुए। शाम को दद्दा के यहाँ 10-12 चारपाइयाँ बिछ जाती। सभी लोग आते और 7-9 बजे तक पूरा बैठका गुलजार रहता। तमाम झगड़े भी यही बैठ कर सुलझा दिये जाते। लोग आते और उनके स्वागत के लिए गुड़-पानी की व्यवस्था रहती। होली के समय 15-20 दिनों तक 'फागुन' गाया जाता। सब लोगों का होली मिलन भी यहीं होता था। मैंने यहाँ बड़ों के बीच बैठ कर बहुत कुछ सीखा।

खैर, मैं उस बरगद के पेड़ के बारे में बताना चाहता हूँ। इस एक पेड़ में हमारी पूरी दुनिया सिमटी हुई थी। बरगद की शाखाएँ डेढ़ बीघे में फैली हुई थी। इस वट-वृक्ष की शाखाएँ-पत्तियां इतने घने थे कि गर्मी के दिनों में सूरज की एक भी किरण इसके नीचे की जमीन को न छू पाती थी। स्कूल से लौट कर इसके नीचे हम तब तक खेलते रहते थे, जब तक दो-तीन लोग आ कर ये बोल नहीं जाते – हो बिटवा, तोहार माई बुलावत है। या फिर खुद छत पर माता जी प्रकट हो कर मोटा डंडा दिखा कर बोले- कि आओ आज, देखो कैसी मार पड़ती है। फिर जो मार पड़ती कि एक–दो डंडे खुद ही शहीद हो जाते। मेरी माता जी मेरे लिए बस एक ही theory में यकीन रखती थी, जो इस प्रकार है:

डंडा नियरे राखिए, सोना-चांदी मढ़ाय।

डंडे से सब होत है, बातों से कछू नाय।

रात को पिता जी देवरिया से लौटते थे तो शिकायत भी लगाई जाती- "यह बिगड़ गया है और गोली-गुच्ची, गुल्ली-डंडा-पतंग लिए घूमता रहता है। फलाने के लड़कों को बरगद के पेड़ से धक्का दे दिया, उसकी माई लड़ने के लिए दरवाजे पर आ खड़ी हुई थी। बड़ी मुश्किल से मामला निपटाया है। इसको आप ही समझाइए, मेरे से तो संभालता नहीं। पिता जी के सामने पेशी होती- ऐसा खौफ-दहशत हावी होता कि किसी अपराधी को सुप्रीम कोर्ट के जज

के सामने भी न होता हो। पिता जी कुछ समझा-बुझा के छोड़ देते थे। खाना खाने के बाद पापा, दद्दा से मिलने जरूर जाते थे।

हाँ तो बरगद का पेड़, महज एक पेड़ नहीं हमारा जिगरी दोस्त भी था। अगर कंचे खेलने में कोई हार जाये, या गिल्ली डंडे में कोई दांव दिये बिना भागने लगे तो इसी बरगद के पेड़ की कसम खा कर यकीन दिलाता था- भाई! कंचे कल लौटा दूंगा, या अभी माई बुला रही है, तुरंत लौट के दांव देता हूँ। इस पेड़ के नीचे कुछ बकरियां बंधी होती, एक तरफ दद्दा की गाय-भैंस छाँव में बैठ कर पगुराती रहती। पेड़ के एक तरफ लड़कियां अपने झूले डाल लेतीं और रसोई-रसोई खेलती रहतीं। लड़कों की उस तरफ प्रवेश निषेध रहता था। भूल से भी अगर कोई लड़का चला गया, तो सभी लड़कियां एक सुर में चिढ़ातीं- सात पाँच लड़कियों मे एक लड़का, नाक कटाने आया है-2 । उसके बाद तो कुछ तुरंत ही दूड्की हो लेते, कुछ गुस्सैल प्रवृत्ति वाले झोंटा-झोंटऊल (बाल खींचकर मारपीट करना) भी कर लेते थे। ये तो रहा पेड़ के नीचे। पेड़ के ऊपर भी पूरी दुनिया बसती थी। इसकी दो मोटी शाखाएँ जहां मिलती हैं वहाँ इतनी जगह होती कि 3-4 बच्चे आराम से बैठ सकें। जब हम थोड़े बड़े हुए तो हमारा भी 'प्रमोशन' हो गया। अब पेड़ के नीचे नहीं ऊपर पाये जाने लगे। चाचा चौधरी-साबू, नागराज, सुपर कमांडो-ध्रुव के कॉमिक्स, नन्दन, चंदा मामा सब को छुप-छुपा कर बरगद के पेड़ के ऊपर बैठ कर पढ़ लेते थे। कॉमिक्स पढ़ने के लिए इतने कुटाई-थप्पड़ पड़े कि शरीर की मजबूती के मामले हम अपने आप को सुपर कमांडो-ध्रुव ही समझने लगे। सारे थेथर प्राणी इस पेड़ के नीचे इकट्ठे हो कर अपने ऊपर पड़ी मार का बढ़ा-चढ़ा कर वर्णन करते थे। क्लाइमैक्स में दद्दा या इया की तरफ से भुजे चने, लइया या कभी-कभी खाजे-बताशे-लड्डू भी मिल जाते। फिर सारे लोग मार-कुटम्म्स भूल कर फीनिक्स पक्षी की तरह पुनः सजीव हो उठते थे। इतना विशाल बरगद का पेड़ कि इसके नीचे-ऊपर 30-40 से भी ज्यादा लड़के लड़कियां खेल कूद पाते थे। गर्मी की छुट्टियों में पढ़ाई से मुक्ति मिल जाती, सिवाय इसके कि पिता जी को रोज पाँच अंग्रेजी के शब्द सुनाने होते थे।

दद्दा और इया जब पिता जी के सामने मेरी तारीफ करते, और 'आचार्य शिशु मंदिर' के प्रधानाचार्य तिवारी जी मेरी तारीफ करते तो लगता की सातवें आसमान पर हूँ। इया कहती थीं कि- हमार बाबू तो अफ़सर बनिहे। इया के भरोसे को टूटने न देने की खातिर अब कॉमिक्स की जगह विज्ञान, गणित, भाषा की किताबें उसी बरगद के पेड़ के ऊपर पढ़ी जाने लगीं। मैं जो कुछ जीवन में गिरते-पड़ते बन सका उसका श्रेय इया और बरगद के पेड़ की ठंडी छांव को भी है।

आज लगभग तीन साल बाद फिर से इया को प्रणाम करने- साड़ी, मिठाई ले कर पहुंचा। आंखों से थोड़ा कम दिखाई देने लगा है। लेकिन नाम बताने पर पूरी तरह से पहचान लिया।

घर का माहौल न जाने क्यों कुछ बदला सा लग रहा था। पूछने पर बोली- 'बंटवारा हो गईल बाss। बड़कु बाबू आपन हिस्सा बेच के चल गइलेss'। दद्दा पाँच भाई थे। उनके कुल मिला के 17 लड़के-लड़कियां। जब तक दद्दा रहे, सब कुछ संयुक्त था। अब वक्त बहुत बेरहमी से बदल गया। इया से कुछ बात करने के बाद मकान के पीछे की तरफ गया। वहाँ बरगद का पेड़ तो नहीं- बस उसका अवशेष बचा हुआ था। जिस विशाल बरगद की शाखाएँ पूरे 1500 गज में फैली थी, उसे काट-छाँट कर 50 गज में समेट दिया गया था। पूछने पर पता चला कि काटने की तो पूरी तैयारी थी मगर अपशकुन के डर से छोटकू बाबू ने पूरा नहीं काटा।

कुछ देर तक बरगद के पेड़ के ठूंठ के नीचे बैठा रहा। भावनाओं का ज्वार उफान मारने लगा, तो काफी नियंत्रण के बाद भी आंखो से निकलने वाले आंसुओं के वेग को रोक नहीं पाया। सोचता रहा कि आधुनिकता और विकास की अंधी दौड़ में हम ये कहाँ आ गए हैं? इस तकनीकी युग में क्या समवेदनाएं और भावनाएं मरती जा रही हैं? कब तक हम सच्चाई से मुँह मोड़ते रहेंगे? यदि हम वर्तमान को समझने में जरा सा चूकते हैं तो डरता हूँ कि कहीं भविष्य में हम सब का हश्र भी इसी बूढ़े बरगद के पेड़ जैसा ही तो नहीं हो जाएगा - महज एक ठूंठ।

हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, यदि, मुझसे भारत के लिए एकमात्र भाषा का नाम लेने को कहा जाए तो वह निश्चित रूप से हिंदी ही है।

- कामराज

सरहद के इस पार और उस पार

- मदन सिंह गर्ब्याल
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

पर्वत राज हिमालय को कौन नहीं जानता है। उसके चांदी के मुकुट सा सदैव चमकने वाले पर्वत शिखर हर सैलानी बल्कि हर मनुष्य का ध्यान बरबस ही आकर्षित करते हैं। उसके दर्शन मात्र से मनुष्य तो क्या हर प्राणी मंत्रमुग्ध हुए बिना नहीं रह सकता है। तभी तो पुरातन काल से यह समूचा हिमालय क्षेत्र ऋषि-मुनि, योगी, ध्यानी-ज्ञानी, साधु-सन्त, तपस्वी व साधकों को रमता है। तत्वज्ञानी एवं दिव्यदृष्टि रखने वाले दिव्य ज्ञानियों ने कहा है कि हिमालय में समस्त देवी देवताओं का वास है और कैलाश पर्वत भगवान शिव शंकर व जगदम्बा माँ पार्वती का निवास स्थल है। ऐसा कहा जाता है कि कैलाश पर्वत इस धरती की धुरी है। इस हिमालय क्षेत्र में अनेक देशों के भू-भाग होने के कारण उनकी सरहदें भी हैं।

महा हिमालय क्षेत्र में भारत के उत्तराखण्ड राज्य के व्यास घाटी, जो तिब्बत वर्तमान चीन, नेपाल व भारत का संगम स्थल है। यहां भारत व नेपाल की सीमा रेखा काली नदी को माना गया है। यह तत्कालीन ब्रिटिश सरकार एवं गोरखा सरकार के मध्य सिंगौली संधि में तय हुई थी और भारत व चीन की सीमा रेखा हिमालय के लिपुलेख दर्रा के समानान्तर पर्वत श्रृंखला मानी जाती है।

भारत के इस हिमालय क्षेत्र के लिपुलेख दर्रा के निकट 'क्अवा' नामक एक रमणीक स्थल है। जहां महर्षि वेद व्यास ने तपस्या की थी और महाभारत ग्रन्थ के कुछ अंशों की रचना की। इसलिए इस घाटी का नाम 'व्यास घाटी' के नाम से जाना जाता है। व्यास घाटी क्षेत्र में बूदी, गर्ब्यांग, छांगरू, तिंकर, नपलच्यू गुंजी, नाबी, रौंगकोंग तथा कुटी गांव आते हैं। यह भारत का सीमान्त क्षेत्र है। यहां महर्षि वेद व्यास जी की पूजा की जाती है और हर वर्ष भादों महीने की पूर्णिमा के दिन 'व्यास ऋषि मेला' भी लगता है। भौगोलिक स्थिति के कारण यहां के अनाज मैदानी क्षेत्रों के अनाजों से कुछ भिन्न होते हैं; जो अति उच्च हिमालयी क्षेत्र में ही पैदा होते हैं। उनमें से एक अनाज का नाम 'स्यिल्ये' है; जो वेद व्यास जी खुद उगाते थे और उसका भोजन करते थे। आज भी यहां के लोग उस अनाज को उगाते एवं खाते हैं। यह वहां के लोगों का पवित्र भोजन है। यह देव स्थानों में देवी-देवताओं को अर्पण कर प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। कहा जाता है कि एक बार एक महात्मा किसी दूसरे देश से विशेष कार्य हेतु वेद व्यास जी को ढूँढते-ढूँढते उनके 'क्अवा आश्रम' में पहुंचे। उस समय व्यास जी खेत में हल जोत रहे थे। वे महात्मा उनके यहां कुछ दिन ठहरे और जब वह जाने लगे, तो वेद व्यास जी ने उनको रास्ते के कलेवा के लिए एक पोटली में

स्यिल्ये की रोटी बांध कर दी। वे रास्ते में ऋषि जी की भेजी स्यिल्ये की रोटी अजनबी चीज समझ कर नहीं खा पाये और जब अपने देश पहुंचे और उन्होंने पोटली खोलकर देखा तो वह 'स्यिल्ये की रोटी' सोने की रोटी में परिवर्तित हो चुकी थी। आज भी 'स्यिल्ये की रोटी' बनाने वाले के हाथ में यदि गीला आटा लग जाय, वह सुनहरा रंग छोड़ता है।

उच्च हिमालय में स्थित व्यास घाटी के उत्तर पूर्व हिम शिखरों के उस पार चीन का इलाका है। लिपुलेख दर्रा पार करने के पश्चात चीन क्षेत्र में कुछ दूरी तक उतराई है। उसके बाद तकलाकोट मंडी तक समतल मैदान है। तकलाकोट मंडी वह स्थान है; जहां भारत व चीन के व्यापारी अपना माल बेचते हैं और दूसरे का माल खरीदते हैं। इस मंडी में दोनों देशों का व्यापार सदियों से चला आ रहा है। हालांकि यह अक्टूबर, 1962 में भारत व चीन के बीच युद्ध के परिणामस्वरूप मई, 1994 तक बन्द रहा। भारत व चीन के मध्य व्यापारिक समझौते के तहत जून, 1994 से दोनों देशों का व्यापारिक सम्बन्ध पुनः स्थापित हुआ।

चीन में स्थित कैलाश मानसरोवर दर्शनार्थ जाने वाले तीर्थ यात्री दिल्ली से चल कर इसी व्यास घाटी से होते हुए चीन में प्रवेश करते हैं। व्यास घाटी के सभी गाँव चीन की सीमा से लगभग 25 से 45 कि॰मी॰ की बीच की दूरी में बसे हैं। गुंजी गाँव के मनीला नामक स्थान पर तीर्थ यात्रियों एवं व्यापारियों की चेकिंग हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार का अंतिम कार्यालय है। यहीं पर मनी एक्सचेन्ज बैंक भी है। कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्री व्यास घाटी के बूदी, गर्ब्यांग, नपलच्यू तथा गुंजी गांव होते हुए भारत के सरहद में अपना अंतिम पड़ाव नाभिडांग में करते हैं, और लिपुलेख दर्रा पार कर वे दूसरे दिन तकलाकोट मंडी पहुंच जाते हैं और आगे कैलाश मानसरोवर का दर्शन कर फिर इसी मार्ग से होते हुए वापस चले आते हैं।

पुराणों के अनुसार भगवान शिव - माँ पार्वती का निवास कैलाश पर्वत व मानसरोवर झील का दर्शन करने का एक मात्र पवित्र मार्ग व्यास घाटी मार्ग ही बताया गया है और साधारण मनुष्य, साधु-संत व ऋषि-मुनि ही नहीं, यहां तक कि यक्ष, किन्नर, गंधर्व और समस्त देवी देवाताओं के देवाधिदेव महादेव का दर्शन करने हेतु जाने का यही मार्ग होने का उल्लेख है।

भारत के सरहद के इस पार भारतीय सीमा रेखा से लगभग 40 कि॰मी॰ दूरी पर बसा एक गांव है। जो गर्ब्यांग नाम से जाना जाता है। यह अपने उन्नतकाल में उच्च हिमालय के व्यास घाटी का 'छोटा विलायत' के नाम से मशहूर था। इस गांव के लोग गर्ब्यांग गाँव में रहने के कारण "गर्ब्याल" कहलाते हैं। यह छोटा विलायत गर्ब्यांग गाँव एक जमाने में भारत, तिब्बत एवं नेपाल का प्रमुख व्यापारिक केन्द्र था। पत्थरों से निर्मित यहां के भवनों की निर्माण कला, अद्भुत काष्ठ कला से सज्जित दरवाजे, खिड़कियां एवं उनके बाहरी आवरण एक उत्कृष्ट नमूने का उदाहरण था। उस जमाने में पूरे कुमाऊं क्षेत्र में दूसरे नम्बर का बड़ा गाँव था। गर्ब्यांग गाँव की जमीन-जायदाद व्यास घाटी के वृहत क्षेत्र में फैली थी। यहां के लोग धनाड्य एवं सुसंस्कृत थे। इनके ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता के मिल मालिकों

एवं बड़े व्यापारियों से विशेष व्यापारिक सम्बन्ध थे। उस जमाने में गर्ब्यांग गाँव में अनेक प्रतिष्ठित व्यक्ति हुए थे; उनमें से श्री नन्दराम सिंह गर्ब्याल जी एक ख्याति प्राप्त व्यक्ति थे। उनका भारत के मैसूर राज्य के राजा और तिब्बत के राजाओं से घनिष्ठ सम्बन्ध था। बताया जाता है कि जब श्री नन्दराम सिंह गर्ब्याल जी मैसूर राजा के निमन्त्रण पर मैसूर गये तो उन्होंने उपहार स्वरूप मैसूर के राजा को अनेक कीमती चीजों के साथ एक 'याक' भी भेंट किया था। यह भी बताया जाता है कि आज भी मैसूर राजा के संग्रहालय में उस 'याक का खाल' सुरक्षित है और दूसरे लब्ध प्रतिष्ठित पुरुष पंडित गोबर्या गर्ब्याल जी एक कानून वेत्ता एवं धनाड्य व्यक्ति थे। उनका नेपाल के महाराजाधिराज के साथ मित्रवत संबंध था। उनकी महाराजाधिराज से मित्रता के बदौलत ही उन्होंने अस्कोट क्षेत्र के राजा-रजवाड़ो तथा नेपाल क्षेत्र के राजा-रजवाड़ों द्वारा हड़पी गयी जमीनों एवं चारगाहों को वहां के जमीन मालिकों को वापस दिलवाया था। उनकी मृत्यु नेपाल की राजधानी काठमांडू में हुई थी। पंडित जी के इच्छानुरूप नेपाल के महाराजाधिराज ने उनकी अन्त्येष्टि उनके राजघाट में करायी थी।

भारत की सीमा के पास इस पार प्रसिद्ध तीर्थ स्थल ऊँ पर्वत, आदि कैलाश, पार्वती ताल एवं गौरी कुण्ड आदि हैं। ऊँ पर्वत लिपुलेख दर्रा सीमा से 09 कि॰मी॰ भारत की तरफ नाभिडांग नामक स्थान में स्थित है। नाभिडांग के एक पर्वत में कुदरती तौर पर 'ऊँ' अंकित है; जो भारत की सीमा के तरफ उन्मुख है। ऊँ पर्वत का उल्लेख पुराणों में भी मिलता है। भारत से जाने वाले कैलाश मानसरोवर यात्री भारत की सीमा पार करने से पहले ऊँ पर्वत का दर्शन करने के पश्चात ही चीन सीमा में प्रवेश करते हैं। इस सीमा में दूसरा प्रमुख तीर्थस्थल आदि कैलाश पर्वत है। बताया जाता है कि पहले कैलाश पर्वत यहीं पर था। यह भारतीय सीमा के अंतिम गांव कुटी से 13 कि॰मी॰ उत्तर ज्योलिंगकांग नामक स्थान में है। आदि कैलाश पर्वत के ठीक नीचे गौरी कुण्ड है और लगभग दो कि॰मी॰ की दूरी में पार्वती ताल है। पार्वती ताल ऐसे स्थान में स्थित है; जहां से आदि कैलाश की परछाई पार्वती ताल (झील) में स्पष्ट दिखाई पड़ती है। वहां पहुंचने पर वहां का वातावरण शुद्ध एवं परम पवित्र आभास कराता है और मन आनन्द विभोर हो जाता है; मानों स्वर्ग पहुंच गये हों।

व्यास घाटी के प्राकृतिक सौन्दर्य का शब्दों में बखान नहीं किया जा सकता है। वहाँ के पशु-पक्षी, पेड़-पौधे, अन्य वन्य जीव एवं मनुष्य अलग-अलग जाति-प्रजाति के नहीं बल्कि मानो सभी एक ही पिता के संतान हैं। वहां के समस्त जड़-चेतन के जीवन का लय एक है, सीधा-सादा-सरल, निश्छलता एवं जीवन के प्रति ईमानदारी एवं वफादारी। वहां कण-कण में शंकर है। वहां हर जगह-हर तरफ दिव्यता, हर किसी को सद्प्रेरणा से ओत-प्रोत करती है। जिन्दगी जीना सिखाती है और मलय पर्वत से बहने वाली वायु का हर झोंका इस संसार में जन्म लेने का अर्थ समझाता है।

जोरू का गुलाम

- राजू
एम॰टी॰एस॰

एक मित्र अपने मित्र से कह रहा था कि तू तो अपनी जोरू का गुलाम है। उसकी सारी बातें मानता है। वो जैसा कहती है तू वैसा करता है। तू तो बस उसी की सुनता है। तो दूसरे ने बोला देख भाई आपको मैं समझाता हूँ। कृपया मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनना उसके बाद ही कोई निर्णय लेना। फिर वह बोला:

क्या तुम अपनी माता जी से प्यार करते हो? क्या आपने कभी उनकी बातों को मना किया। आप उनकी हर बात मानते हो वो जैसा कहती हैं आप वैसा करते हो। तो क्या आपने अपनी माताजी की बात मानकर कोई गुनाह किया? फिर क्यूँ तो तुम भी अपनी माताजी के गुलाम हो, अगर नहीं तो फिर क्यूँ?

अच्छा जी अब आप अपने पिताजी की सारी बात मानते हो उनका कोई भी आदेश आपने कभी ठुकराया, नहीं तो क्या आप उनके भी गुलाम हो न ?

आपकी बहन और भाई भी तो है उनकी खुशी के लिए तो आपने बहुत कुछ किया है। हर समय उनके लिए कुछ न कुछ करते रहते हो और उन दोनों से इतना प्यार करते हो कि अपना सब कुछ भूल जाते हो। उनकी छोटी-छोटी इच्छाएं पूरी करते हो। तब तो तुम उनके भी गुलाम हो। क्या आप सभी के गुलाम हो?

आज तुम्हारे और मेरे परिवार के सभी लोग अपनी-अपनी जगह व्यस्त हैं। तुम्हारे माताजी और पिताजी गाँव में हैं। भाई अपनी नौकरी में व्यस्त है और घर से बाहर रहता है। अच्छा कमाता है। बहन की शादी एक अच्छे परिवार में कर रखी है और उसका पति भी तो उससे बहुत प्यार करता है तो वो भी अपनी जोरू का गुलाम है। तो तुमने अपने जीजाजी से कभी नहीं कहा कि जीजाजी आप अपनी जोरू के गुलाम हो। तुम तो अपनी बहन और जीजी की बहुत तारीफ करते हो और अपनी बहन से कहते हो कि आपके पति आपसे कितना प्यार करते हैं और ख्याल रखते हैं। कभी कहा कि दीदी आपके पति तो आपके गुलाम हैं।

देखो दोस्त, आज आपकी पत्नी अपना सब कुछ छोड़ कर आयी है। आज उसके सब कुछ तुम ही हो। वैसे ही मेरी पत्नी भी सब कुछ अपना छोड़ कर आयी है। उसके लिए माँ-बाप, भाई-बहन, सहेली, परिवार सब कुछ मैं हूँ और मेरे लिए वो। आज उसका ख्याल मैं

नहीं रखूँगा तो कौन रखेगा? पत्नी से प्यार करना और उसकी बातें मानने से कोई गुलाम नहीं बन जाता। कुछ लोगों की मानसिकता होती हैं जो ऐसा समझते हैं कि जो अपनी पत्नी से प्यार करता हैं और उसका कहना मानता है वो जोरू का गुलाम है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो इसमें आपकी बहुत बड़ी भूल है। किसी से प्यार करने से कोई उसका गुलाम नहीं बन जाता हैं यह तो प्रत्येक व्यक्ति का फर्ज है जो वह निभाता हैं।

फिर क्या, वो मित्र अपने इस व्यंग्य पर पानी-पानी हो गया और आज तक उसकी जुबान पर जोरू का गुलाम जैसा व्यंग्य नहीं आया तथा हमेशा ही ऐसे लोग की तारीफ करता है।

मैं कहता हूँ आप अपनी भाषा में बोलें, अपनी भाषा में लिखें। उनको गरज होगी तो वो हमारी बात सुनेंगे। मैं अपनी बात अपनी भाषा में कहूँगा। जिसको गरज होगी वह सुनेगा। आप इस प्रतिज्ञा के साथ काम करेंगे, तो हिन्दी भाषा का दर्जा बढ़ेगा।

-महात्मा गाँधी

राष्ट्रीय मेल और राजनीतिक एकता के लिए सारे देश में हिन्दी और नागरी का प्रचार आवश्यक है।

-लाला लाजपत राय

हिंदी उन गुणों से अलंकृत है जिनके बल पर वह विश्व की साहित्यिक भाषाओं की अगली श्रेणी में समसीन हो सकती है।

-मैथलीशरण गुप्त

शिक्षा में अनुशासन की भूमिका

- राकेश रंजन मिश्रा
हिन्दी अधिकारी

किसी भी व्यक्ति के अंदर अनेक प्रकार के गुण होते हैं जैसे मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, चारित्रिक आदि जो समाज में उसकी छवि स्थापित करने का सबसे बड़ा साधन हैं। किंतु मानव विकास के इस साधन में अनुशासन का मेल ना हो तो व्यक्ति का सर्वांगीण विकास बाधित हो जाता है। साधारण बोल-चाल की भाषा में कहें तो एक संतुलित व्यक्तित्व के विकास की कल्पना तब ही की जा सकती है जब हमारे समाज में व्याप्त शिक्षा व्यवस्था पूर्णतः अनुशासित हो, क्योंकि इसके बिना इन गुणों को संवारना बहुत मुश्किल है।

आज हरेक माता-पिता अपने संतान के प्रति यह ख्वाईश रखते हैं कि उनका लाडला अच्छे से अच्छी शिक्षा ग्रहण करे। इसके लिए वे जीवन भर की कमाई लुटाने को भी तैयार हो जाते हैं। एक काल्पनिक जीवन के लिए मजबूत नींव तैयार करने का प्रयास करते हैं ताकि उनका लाडला आगे चलकर उनसे भी अच्छा काम करे-नाम करे। जिस प्रकार विशाल भवन के निर्माण हेतु तगड़ी नींव महत्वपूर्ण होती है उसी प्रकार किसी भी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए अच्छी शिक्षा व्यवस्था महत्वपूर्ण होती है। सर्कस में रिंग मास्टर, घर में माता-पिता, विद्यालय में गुरू का जो स्थान होता है, वही स्थान शिक्षा में अनुशासन का भी होता है। सड़क किनारे चलने वाले मुसाफिर को या सड़क पर दौड़ने वाले वाहन के चालकों को यदि सही दिशा का ज्ञान न हो या वे अनुशासित होकर न चलें तो दुर्घटना को टाला नहीं जा सकता। उसी प्रकार किसी व्यक्ति का यदि उसके बाल्यावस्था से ही सही मार्गदर्शन के साथ पालन-पोषण न किया जाए जो उसे दी जाने वाली शिक्षा नाम मात्र की ही रह जाती है और आगे चलकर वह किसी भी क्षेत्र की प्रतियोगिता को सफलतापूर्वक पार नहीं कर पाता। मिट्टी के बर्तन को तैयार करने के लिए कुम्हार मिट्टी और पहिए को अलग-अलग तो छोड़ नहीं देता बल्कि मिट्टी के बर्तन को तैयार करने के लिए अनुशासित ढंग से पहिए पर मेहनत करता है जिसके परिणामस्वरूप उसकी कलाकृति सामने उभरकर आती है। उसी प्रकार वर्तमान दौर में सुसज्जित शिक्षण व्यवस्था जैसे- मेडिकल, इंजीनियरिंग, सूचना प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, वकालत आदि, व्यक्ति के अंदर की प्रतिभा और उसके विकास की संभावनाओं को अनुशासन के बदौलत जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के लिए तैयार करती है। अर्थात अनुशासन के बिना किसी भी क्षेत्र में अपनी पहचान बनाना और सफलता पाना असंभव है।

अतः हम समझ सकते हैं कि नित दिन विकास करने वाले व्यक्ति के अंदर यदि निर्माणकारी गुणों के साथ-साथ मानसिक शक्तियों को विकसित करना है तो उसे अनुशासित शिक्षा के परिवेश में ही पलना-बढ़ना होगा ताकि वह आदर्श समाज की स्थापना में अपना बहुमुल्य योगदान दे सके। शिक्षा में अनुशासन की भूमिका इसलिए भी अहमियत रखती है कि व्यक्ति के अंदर कल्पना शक्ति, विचार शक्ति, समीक्षा शक्ति, अनुमान लगाने की क्षमता, स्मरण शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति, उसकी वैज्ञानिक सोच आदि का भी विकास हो सके। यदि किन्ही कारणों से व्यक्ति के अंदर ये गुण परिलक्षित न हुए तो उसे अनुशासन का अर्थ समझाना भी कठिन होगा और साथ ही साथ उसका भविष्य भी अंधकारमय होगा।

एक लड़की दीवानी सी

- सूर्य पाल
लेखापरीक्षक

एक सुबह सुरमई सी, एक शाम सुहानी सी,
ये जख्म नया तो है, पर टीस पुरानी सी,
जिसके लिए जीते थे, अब याद पे मरते हैं,
थी नाम वफा का, वो एक लड़की दीवानी सी,
लिपटे आके मुझसे, जो फैला के दोनों बाहें,
कभी पास मेरे जो थी, अब है वो कहानी सी,
हसरत दबी रही, शहनाइयों के शोर में,
लेकर गया और कोई, जो मेरी जिन्दगानी थी,
है कौन सा ये शायर, ये शायरी है किसकी,
कोई पूछे तो कहना, ये सूर्या की जुबानी थी,
एक सुबह सुरमई सी, एक शाम सुहानी सी,
ये जख्म नया तो है, पर टीस पुरानी सी।

एयरपोर्ट पे धरना (हास्य-व्यंग्य)

- संतोष कुमार गुप्ता
सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी

आप सब ने सड़क पर या रेल की पटरियों पर बैठ कर तमाम धरना-प्रदर्शन करने वालों को देखा होगा। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग इस कड़वे अनुभव से गुजरे भी होंगे। धरना करने वालों के चेहरे को जरा गौर से देखिये- तेजस्विता से दप-दप दमकते हुए और दूसरी तरफ धरने मे फंसे लोगों के चेहरे पर हताशा और परेशानी को साफ देखा जा सकता है।

ये सभी लोग गरीब जनता के अधिकारों की लड़ाई लड़ने का दावा करते हैं। इन्हें क्या मालूम नहीं कि आजकल सड़क और ट्रेन द्वारा बेचारी गरीब जनता ही यात्रा करती है। अमीर लोग तो अपने निजी जेट प्लेन से सारे धरने-प्रदर्शन को चिढ़ाते हुए ठीक उनके सिर के ऊपर से गुजर जाते हैं।

ये भी कोई बात हुई कि ट्रेन का किराया बढ़ा तो ट्रेन की पटरियों पर बैठ कर सभी ट्रेनों की आवाजही रोक दो। पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ गए तो सड़क के बीच पर आ कर बैठ जाओ। सब्जियों के दाम बढ़े तो भी ट्रेन की पटरी पर बैठ जाओ! इनको जैसे मालूम होता है कि ये दाम बढ़ाने वाले भाई लोग इसी ट्रेन से या इसी सड़क के रास्ते आने वाले हैं।

हे गरीबों की लड़ाई लड़ने वालों! यदि धरना देना हो तो कृपया एयरपोर्ट पर धरना देने के बारे में विचार करें (बिलकुल नया idea है)।

रेल और रोड से तो बेचारी गरीब पब्लिक ही यात्रा करती है। बहुत जरूरी काम होते हैं -कोई परीक्षा देने जा रहा है, कोई इलाज कराने, कोई कोर्ट में जा रहा, कोई अपने परिवार से मिलने तो कोई अपने बीमार माँ-बाप से मिलने तो कोई अपने बीमार बच्चे को लेकर बड़े हॉस्पिटल। बड़ी मुश्किल से तो बेचारे टिकट का इंतेजाम कर पाते हैं। प्लीज़, अगली बार ट्रेन और रोड को बख्श देना.....

दूसरी बात ये कि रेल और रोड रोकना पुराना हो चुका है। सिर्फ एक बार, एयरपोर्ट पर खड़े किसी जहाज के पंखों पर सवार हो कर देखो कि कैसी 'खिलाड़ी' वाली अनुभूति होती है। यकीन मानिए, पूरे विश्व की मीडिया में आपके चर्चे होंगे -कि यह 'बाहुबली' कौन है? और जहाज के पंखों पर सवार जब आप 'सेल्फ़ी' लेंगे, तो जरा सोचिए उस सेल्फ़ी को ट्वीटर या

फेसबुक पर वायरल होने से कौन रोक पाएगा। हो सकता है कि आपकी सेल्फ़ी को 'फोटो ऑफ द इयर' का पुरस्कार भी मिल जाये। देखिये कितनी अनंत संभावनाएं हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार द्वारा आपकी मांग को भी प्राथमिकता के तौर पर लिया जा सकता है।

अतः अंत में पुनः अनुरोध है कि यदि धरना देना हो, तो कृपया एयरपोर्ट पर धरना देने के बारे में एक बार गंभीरता पूर्वक जरूर विचार करें।

ग़ज़ल

- सुशील देवली

सहायक लेखाधिकारी

गाँव की बस्तियां छोड़ यहां पर किरायेदार आयें हैं।
सुना है शहरों में रहने गुलदार सपरिवार आये हैं॥

जब से हुई हैं बस्तियां सूनी गांव की देहात की।
बेरोजगारी से होकर परेशान ढूँढने रोजगार आये हैं।।

शहरों के घरौंदे ने जंगलों को बेघर कर दिया हैं।
उनके घरौंदे रौंदते ये शहर बार-बार आये हैं।।

अपनी ही भीड़ का हिस्सा हैं दर्जनों दागी गुलदार यहां।
अपने रिश्तों का करते शिकार बारम्बार आये हैं।।

जानवर ने इंसा की तरह कभी नहीं लांघी हैं अपनी हदें।
हम इंसा होकर तोड़ते अपनी हदें हजार बार आये हैं॥

सफलता के सात सूत्र

-श्रीमति संजु रानी
एम.टी.एस.

प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में सफलता चाहता है, लेकिन बहुत ही कम व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने जीवन में सफल हो पाते हैं। बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो सफलता को केवल सपनों में ही देख पातें हैं किन्तु असल जिन्दगी में सफलता उनसें कोसों दूर होती है। सफलता उनके लिए केवल एक सुन्दर सपने की तरह होती है जबकि प्रत्येक व्यक्ति की शारीरिक व मानसिक क्षमता बराबर होती है तब भी वह सफल व्यक्ति से अपने आपको तुच्छ समझते हैं। यदि इन सफलता के सूत्रों का अध्ययन किया जाए तो प्रत्येक व्यक्ति सफल हो सकता है तथा सफलता के सपने को एक हकीकत का रूप दे सकता है। सफलता का पहला सूत्र है - लक्ष्य निर्धारण, जो अत्यन्त आवश्यक सूत्र है। जिन्दगी को कहां और कब ले जाना है पहले से ही अगर तय कर लिया जाए तो लक्ष्य और आसान हो जाता है तथा सफलता सम्भव हो जाती है। दूसरा सूत्र है - व्यक्ति का नजरिया। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में श्रम ज्ञान से ज्यादा प्रभाव नजरिये का होता है, यदि अगर एक व्यक्ति का जीवन सकारात्मक है तो वह अपने लिए ही नहीं बल्कि औरों के लिए भी सफलता की राह आसान कर देता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति का जीवन सकारात्मक होना जरूरी है ताकि जो व्यक्ति सफलता को सपना समझते हैं वह इसे एक हकीकत समझे, क्योंकि सकारात्मक सोच सफलता की वह कुंजी है जिस पर सफलता की मजबूत इमारत खड़ी है। सफलता के लिए लक्ष्य निर्धारण के साथ-साथ समय प्रबन्धन भी अति आवश्यक है जोकि सफलता का तीसरा सूत्र है। यदि आप सब लोग सफलता चाहते हैं तो अधिक से अधिक कोशिश यह करें कि हर कार्य समय पर पूर्ण करें। ऐसा करने से सभी जरूरी कार्य बिना किसी तनाव के समय पर हो जायेंगे। चौथा सूत्र है -तालमेल। सफलता पाने के लिए व्यक्ति को कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है अथवा पड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति को परेशानियों का साहस पूर्वक सामना करना चाहिए तथा उनके बीच एक तालमेल बनाए रखना चाहिए। अक्सर प्रत्येक व्यक्ति को परेशानियों से कुछ न कुछ सीखने को मिलता रहता है जो भविष्य में उनके जीवन में अत्यन्त काम आता है किन्तु हम भविष्य में इस तरह की परेशानियों से बच निकलने का विकल्प ढूंढते रहते हैं। पांचवा सूत्र - व्यक्तिव का विकास है। व्यक्तित्व विकास भी सफलता का एक आवश्यक पहलू है। व्यक्तित्व के गुण जैसे व्यक्ति का पहनावा,

रहन-सहन, बातचीत का तरीका आदि सभी सफलता पर अत्यधिक प्रभाव डालते हैं। साथ ही ईमानदारी, साफदिली, हसंमुख, विनम्रता भी सफलता के आवश्यक गुण हैं। छठा सूत्र है - निरंतर सुधार। प्रत्येक व्यक्ति को समय के साथ-साथ स्वंय को भी विकसित करना चाहिए तथा एक निरन्तर सुधार लाना चाहिए। अंत में सफलता का आखिरी सूत्र है - संतुलन जोकि अत्यन्त जरूरी है। जीवन में व्यावसायिक कामयाबी के साथ पारिवारिक कामयाबी भी आवश्यक है। यदि आप व्यावसायिक रूप से सम्पन्न हैं परन्तु आपका पारिवारिक जीवन अच्छा नहीं है तो वह वास्तव में अधूरी सफलता ही समझी जायेगी अथवा होगी। एक सफल जीवन जीने के लिए इन सातों सूत्रों पर अमल करना अति आवश्यक है। इनके बिना कोई व्यक्ति अपने जीवन में सफल नहीं हो सकता।

शिव–शक्ति

- प्रशान्त जोशी
एम॰टी॰एस॰

शिव-शक्ति का मेल ऐसा।
वसन्त ऋतु-वृक्षों की लताओं जैसा।।
शिव शक्ति बिना शव समान।
शक्ति से शिव, शिव से शक्ति की पहचान।।
शिव शक्ति के बिना अधूरे।
शक्ति से शिव होते पूरे।।
शिव के ऋषि भृगि भक्त निराले।
शिव को सिर्फ मानने वाले।।
शिव ने शक्ति महत्व बतलाया।
अर्द्धारिश्वर का रूप दिखाया।।
इस रूप की महिमा जगत जान ना पाया।
जननी की शक्ति पहचान ना पाया।।

यदि कबीर आज जिन्दा होते

- अशोक कुमार

सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी

कुछ दिन पहले मैं अपने एक पुराने दोस्त के घर गया था। उनके घर में बच्चों को पढ़ाने के लिए एक ट्यूटर आया करते थे। वह दोस्त के बच्चे को इतिहास पढ़ा और समझा रहे थे। कुछ बातें मेरे कान में भी पड़ रही थीं। वह कुछ इस तरह कह रहे थे 'मध्यकाल मानव जाति के इतिहास का अंधकार युग माना जाता है। उस समय अधिकांश लोग अंधविश्वासी, रूढ़िवादी, धर्मभीरू एवं अज्ञानी थे। हिंसा एवं लूटपाट का बोलबाला था। धर्म के नाम पर पाखंड एवं लूट-पाट चल रही थी। उस समय लोगों की दशा बहुत ही सोचनीय थी। वह बहुत ही भयानक कट्टरता का समय था।'

ट्यूटर साहब की बात सुनकर मैं सोचने लगा कि क्या वास्तव में मध्यकाल सचमुच भयानक कट्टरता का समय था? उस समय अधिकांश लोग अंधविश्वासी, रूढ़िवादी, धर्मभीरू एवं अज्ञानी जरूर थे, परन्तु वे ईमानदार भी थे, उनमें सहनशक्ति एवं दूसरों के विचारों के प्रति आदर की भावना भी थी। भारत में उस समय विभिन्न संतों जैसे रामानन्द, कबीर, गुरूनानक, तुलसीदास, आदि महान विभूतियों ने समाज को राह दिखाने की कोशिश की थी। इनमें से भी कबीर सबसे अलग थे, जोकि अंधविश्वासों एवं कुरीतियों के विरुद्ध निडरतापूर्वक लड़ते रहे। कबीर ने हिन्दुओं एवं मुसलमानों सभी के पाखण्ड एवं कुरीतियों का विरोध किया था।

उस मध्ययुग, जिसमें अंधविश्वासों का बोलबाला था, उस मध्ययुग में भी लोगों ने कबीर एवं गुरूनानक जैसे सन्तों की वाणी को सुना एवं उसका अनुकरण किया। अकबर उसी काल में स्वछन्द होकर 'दीन-ए-इलाही' जैसा नया पंथ आरंभ कर पाया था। परन्तु आज जबकि मानव जाति ने आशातीत उन्नति कर ली है। मानव चन्द्रमा पर पहुंच गया है, मंगल तक उसके यान पहुंच गये हैं, बल्कि कुछ यान तो सौरमंडल के अंत में कुईपर बेल्ट तक पहुंचने वाले हैं। गॉड पार्टिकल को खोजा जा रहा है। कम्प्यूटर, मोबाइल व इन्टरनेट ने दुनियाभर का ज्ञान हमारे हाथों में पहुंचा दिया है। ज्ञान-विज्ञान व शिक्षा के श्रेष्ठ साधन हमारे पास हैं फिर भी दुनियाभर में धार्मिक कट्टरता एवं असहिष्णुता लगातार बढ़ती जा रही है। लोग निरन्तर कट्टर तथा असहिष्णु होते जा रहे हैं। कई आतंकवादी लोगों को तथाकथित तौर पर धार्मिक बनाने के लिए अधर्म एवं पाप का रास्ता अपनाये जा रहे हैं। ऐसे में यदि आज कबीर जीवित होते और किसी धर्म या कुरीति के विरुद्ध अपनी वाणी का

प्रयोग करते तो कैसा होता? ये किसी समाचार चैनल की ब्रेकिंग न्यूज बन गयी होती। एंकर चिल्ला रहा होता कि फलाने ने फलाने धर्म के विरूद्ध अपशब्द कहे हैं। दो-चार तथाकथित धर्मगुरू और कुछ राजनेता टाइप लोग न्यूज चैनलों के स्टूडियों में बैठकर मंथन कर रहे होते। चैनल जब तक कोई और सनसनीखेज खबर न मिलती तब तक लोगों को यह एक खबर दिन-रात दिखा कर निचोड़ चुका होता। सडकों पर लोग कबीर के विरुद्ध नारे लगा रहे होते। उनके पुतले दहन किये जाते। एक दो जगह उनके विरुद्ध एफ.आई.आर भी दर्ज हो चुकी होती। फेसबुक एवं ट्विटर जैसे सोशल नेटवर्किंग साइटों पर उनके विरुद्ध 'पोस्टे' डाली जा रही होती जिनको कई नवक्रान्तिकारी युवा टाईप लोग गन्दी गालियां एवं अश्लील सामग्री से भर चुके होते। लोगों की धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी हो चुका होता। कोई उन्मादी कट्टरपंथी उनके सर पर इनाम रख चुका होता और यह भी संभव है कि लोगों का हुजूम उन्हें मार चुका होता।

आजकल वैसे भी किसी गलत बात को गलत कहना भी गलत है। ना जाने आपकी कौन सी बात से किसी की भावना को ठेस लग जाये। इसलिए इसी में लाभ है कि कुछ भी अभिव्यक्त करने से पहले बार-बार सोचा जाये, भले ही संविधान कुछ भी कहे। लोगों का मन दिन-व-दिन कठोर होता जा रहा है जबकि उनकी भावना व्युतक्रमानुपातिक रूप में नाजुक से नाजुक होती चली जा रही है। लोगों की भावना के बारे मे सोचने पर ऐसा लगता है कि उनकी भावना में कोई प्राक्सिमिटी सेंसर लगा है, छूना तो दूर यदि कोई नजदीक भी आया तो अलार्म बजने लगेगा। ऐसी छुई-मुई भावना के दौर में भला कबीर की क्या चलती? लोगों को उपदेश देना 'आ बैल मुझे मार वाली बात होती'। आखिर सुकरात की तरह जहर पीने से भी क्या लाभ है, जबकि लोगों ने करना वही है जो उनके मन में है। ऐसे में कबीर भी शायद 'समझदारी' दिखाते हुए यही कहते कि मीडिया ने उनके विचारों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया है। किसी तरह मामला शांत होने पर कबीर समाज सुधार के काम से ही तौबा कर लेते और शायद अपना कोई मठ-दरगाह वगैरह खोलकर बाबागिरी का बिजनेस आरंभ करते। बाबागिरी का बिजनेस भी क्या बिजनेस है। हर बिजनेस मे मंदी आ सकती है पर इस बिजनेस में नहीं बल्कि मंदी में तो ये बिजनेस और भी निखरता है। हर तरह से लुटा-पिटा आदमी आखिरकार तथाकथित चमत्कारी बाबाओं की शरण में इस उम्मीद से ही तो जाता है कि बाबाजी की कृपा और दुआ से उसे राहत मिल जाएगी और उसके दुख उसी तरह गायब हो जायेंगे जिस तरह पैसा व पॉवर आने पर लोगों की शर्म गायब हो जाती है।

अच्छा है कि कबीर आदि संत मध्ययुग में पैदा हुए थे। उनके उस तथाकथित अंधयुग -मध्ययुग में तो ये बात न होती थी कि लोगों की सहनशक्ति जरा से विचार से जबाव दे

जाए। उस काल में भारत में कबीर, गुरूनानक, मीरा आदि अपनी बात स्वतंत्रतापूर्वक कह सकते थे। अकबर उलेमाओं के विरुद्ध जाकर अपना नया पंथ आरंभ कर सकता था। इरान में इब्ने ज़कारिया अलराजी जैसा स्वतंत्र विचारक व वैझानिक भी रह सकता था। तब कोई फतवा, कोई प्रतिक्रियावादी आंदोलन नहीं चलाया जाता था। यूरोप में वैज्ञानिकों ने अपना जीवन उत्सर्ग कर तर्क एवं बौद्धिकता का आंदोलन चलाया था और अंधविश्वासों एवं कुरीतियों के स्थान पर मानव को वैज्ञानिक सोच प्रदान की थी। परन्तु आज ज्ञान-विज्ञान व शिक्षा के प्रसार के बावजूद भी मनुष्य लगातार अंधविश्वास, कट्टरता एवं संकीर्णता की ओर जा रहा है। यह किसी एक ही वर्ग, जाति या धर्म के लिए नहीं है अपितु यह बात कमोवेश सभी धर्मों एवं समाजों के बारे में कही जा सकती है। लोग धार्मिक एवं जातीय पहचान बनाने के लिए मरे जा रहे हैं। तथाकथित शिक्षित लोग लकीर के फकीर बनने में अशिक्षितों को भी मात दे रहे हैं। आखिरकार दुनियाभर के आतंकवादी संगठनों में आर्थिक रूप से सबल परिवारों के शिक्षित लोगों का ही तो बोलबाला है।

मध्यकाल भले ही युद्ध, लूटपाट, अशिक्षा एवं कुरीतियों का काल था परन्तु लोग तुलनात्मक रूप से सहिष्णु थे। उनमें नये विचारों को ग्रहण करने एवं सहने की सामर्थ्य थी। यह सामर्थ्य आज विज्ञान के युग में समाप्त हो गयी है। भले ही आज टेलीविजन, कम्प्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट एवं संचार के अन्य साधन लोगों के ज्ञान को बढ़ा रहे हैं परन्तु यह केवल तथ्यपरक ज्ञान ही है। लोगों का नैतिक बल समाप्त हो गया है। शिक्षा का उद्देश्य किसी संस्थान या कंपनी में कोई नौकरी पाना ही रह गया है। शिक्षा व्यक्ति के वैचारिक उन्नति के कार्य से विमुख हो गयी है। लोगों में नये विचारों के सृजन की क्षमता समाप्त होती जा रही है। तभी तो शिक्षित व सम्पन्न लोग अंधविश्वासों एवं कुरीतियों से मुक्त होने के स्थान पर उनको बढ़ावा दे रहे हैं। दिखावे की भक्ति की धाराऐं बह रहीं हैं। लोग अपने धर्म से संबंधित धर्मस्थलों, तीर्थों एवं साहित्य-विचारों आदि से तकनीक के प्रयोग द्वारा रूबरू हो रहे हैं। परन्तु सूचना तकनीक के प्रसार के कारण भी धार्मिक, जातिगत, वैचारिक कट्टरता एवं नस्लवाद आदि का प्रसार होने में सहायता मिल रही है। दुष्टों के लिए इन्टरनेट वेबसाइटों एवं सोशल मीडिया साइटों का प्रयोग कर अपने लिए साधन एवं व्यक्ति जुटाना बहुत ही आसान हो गया है। अनेकों आतंकी संगठन इन्हीं माध्यमों का प्रयोग कर अपने लिए आतंकियों की भर्ती कर रहे हैं। ऐसे लोगों के हाथ में तकनीक तो बंदर के हाथ में उस्तरे के समान ही है।

अच्छा हुआ कि कबीर आज जिन्दा नहीं हैं, नहीं तो आज उनके कारण नित नये विवाद ही पैदा होते। लोगों की छुई-मुई जैसी भावना नित की इस छेड़-छाड़ से तंग आकर रौद्ररूप धारण कर चुकी होती। कबीर जैसे लोगों की वैचारिक हत्या तो पहले ही हो चुकी है, अब शरीर की भी हत्या हो चुकी होती। वास्तव में मध्ययुग ही ऐसे व्यक्तियों के लिए श्रेष्ठ युग था।

भारत के वित्तीय प्रहरी

- मदन सिंह गर्ब्याल

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

किसी भी देश के धन व उसकी सम्पदा की रक्षा करना उतना ही महत्वपूर्ण होता है, जितनी उसकी सीमाओं की। भारतवर्ष ने अपने धन व सम्पदा की रक्षा की अहम जिम्मेदारी भारत के मजबूत संवैधानिक संस्थानों में से एक, कैग अर्थात् भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सौंपी है।

प्राचीन काल से इस विश्व के किसी भी देश व समाज की रक्षा अपने तरह के प्रहरी स्थापित करके की जाती रही है। आधुनिक काल में देश की थल सीमाओं की रक्षा थल सेना को, समुद्री सीमाओं की रक्षा नौ-सेना को, आकाश की सीमाओं की रक्षा- वायुसेना को, आन्तरिक शान्ति एवं सुरक्षा-पुलिस व अर्द्धसैनिक बलों को और समाज के रीति-रिवाज, परंपरा, संस्कार व संस्कृति की संरक्षा संत, महात्मा, सद्गुरूजन, बुद्धिजीवी, बड़े-बुर्जुग व समाज सेवक आदि को अपने-अपने तरीके की जिम्मेदारी एक प्रहरी के रूप में प्राप्त है और इसी तरह राष्ट्र व उसकी जनता के हितों की सुरक्षा व संरक्षा के लिए और भी अलग-अलग प्रकार के प्रहरी हैं। भारतवर्ष में ऐसा ही एक महत्वपूर्ण वित्तीय प्रहरी है- भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक।

भारतवर्ष को स्वतन्त्रता एवं गणराज्य प्राप्त होने के साथ ही भारत का संविधान भी अस्तित्व में आया और भारत के संविधान में देश की तमाम सुरक्षा व्यवस्था उपांगों की स्थापना की गयी और उनके कर्त्तव्यों व दायित्वों का निर्धारण किया गया। उन अत्यावश्यक स्तम्भों में से एक भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक यानी कैग की स्थापना एक नये रूप में की गयी और भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 तक में उनके कर्त्तव्यों, शक्तियों एवं सेवा शर्तों की व्याख्या की गयी। जिसमें देश के तमाम अन्य प्रहरियों की राजस्व प्राप्ति एवं व्यय की वित्तीय निगरानी रखने की अहम जिम्मेदारी इस वित्तीय प्रहरी को दी गयी। भारतवर्ष के आजाद होने से पूर्व भी इस प्रहरी की भूमिका कमोबेश वही थी, जो आज है। भले ही समय-समय पर उनका नाम परिवर्तित किया जाता रहा हो। यह देश की एक स्वायत्त संवैधानिक संस्था है। यह किसी मंत्रालय के अधीन नहीं आता है। यह स्वतन्त्र तरीके से देश के राजस्व प्राप्ति तथा शासकीय धन के सही व गलत उपयोग की जांच पड़ताल करता है। सरकारी और अर्द्धसरकारी कार्यालयों व शासन द्वारा वित्त पोषित कुछ अन्य संस्थानों के अभिलेखों की जांच पड़ताल के परिणामों को कैग की ऑडिट रिपोर्ट में प्रकाशित किया जाता है। इसे देश की सबसे प्रामाणिक व विश्वसनीय रिपोर्ट माना जाता है। संविधान

प्रदत्त स्वायत्त संस्था होने के कारण कैग की ऑडिट को सबसे प्रमुख दर्जा हासिल है। कैग की ऑडिट रिपोर्ट देश के विभिन्न कार्यालयों, संस्थानों एवं संगठनों के राजस्व प्राप्ति एवं व्यय के लेखों-जोखों की वास्तविक तस्वीर प्रकट करता है और देश के वे विभाग, संस्थान एवं संगठन, जो शासकीय धन का दुरुपयोग करते हैं; कैग उनके वास्तविक तथ्यों को ऑडिट रिपोर्ट के माध्यम से केन्द्र व राज्य सरकारों के संज्ञान में लाता है और ऐसे संस्थानों, विभागों एवं संगठनों को ताकीद भी करता है; ताकि आइन्दा शासकीय धन का दुरुपयोग न हो; वहीं दूसरी तरफ कैग उन संस्थानों, विभागों एवं संगठनों को सुधारात्मक सुझाव/संस्तुतियां भी देता है और उन सुझावों/संस्तुतियों को अमल में लाया गया अथवा नहीं? इसके लिए हाल ही में कैग ने एक नई तरीके की जांच 'Follow-up Audit' शुरू कर दिया है। कैग अपनी ऑडिट रिपोर्ट के माध्यम से उन संस्थानों, विभागों एवं संगठनों के कार्य संस्कृति में सकरात्मक बदलाव लाने में अपना अहम योगदान देता है। और देश के धन और उसकी सम्पदा के प्रहरी के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करके देश के सतत् निर्माण एवं उसके उत्तरोत्तर विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लगभग पूरी दुनिया के देशों में हमारी कैग जैसी संस्थायें हैं। भारत वर्ष में कैग का कार्य उतना ही अधिक महत्वपूर्ण है; जितना कि भारतीय सेना का या फिर पुलिस आदि का। यदि देश में सेना न हो, तो देश बच नहीं सकता, न ही देशवासी स्वतन्त्र व सुख-चैन से रह सकते हैं। यदि देश में पुलिस व्यवस्था न हो तो सामाजिक व्यवस्था चरमरा जायेगी और देश के गाँव-शहर सुरक्षित नहीं रह पायेगें। उसी तरह से यदि भारतवर्ष में कैग जैसा देश का वित्तीय निगरानी करने वाला प्रहरी न हो, तो शासकीय धन के लूट खसोट से इन्कार नहीं किया जा सकता है। देश में कैग जैसा प्रहरी है; तभी सरकारी धन को हानि पहुंचाने वाले और दुरुपयोग करने वालों को डर रहता है, जिसके परिणामस्वरूप आज देश के सरकारी, अर्द्ध-सरकारी व अन्य संस्थानों के कार्यालय राजस्व प्राप्ति व व्यय के कार्यों को सुचारू रूप से सम्पन्न करते आ रहे हैं।

भारत के वित्तीय प्रहरियों का मुखिया अर्थात् कैग का मुख्यालय नई दिल्ली में है और उनके सजग प्रहरी देश के करीबन सभी राज्यों में तैनात हैं। लगभग हर राज्य में अमला के एक मुखिया के रूप में प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार तैनात है; जो उस राज्य में एक सेन्ट्रल कमान्ड के रूप में कार्य करता हैं और उस राज्य के वित्तीय प्रहरी के रूप में उनका सहयोग प्रदान करने के लिए वरिष्ठ उपमहालेखाकार/उपमहालेखाकार होते हैं और इस वित्तीय प्रहरी के निचले पायदान मगर महत्वपूर्ण, मुख्यालय एवं फील्ड में तैनात वित्तीय प्रहरियों की फौज है; जिसमें वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/लेखापरीक्षा अधिकारी अपनी टोली का कप्तान का कार्य करता है। जिनके अधीन सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, सुपरवाइजर, वरिष्ठ लेखापरीक्षक, लेखापरीक्षक, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर एवं मल्टी टॉस्किंग स्टॉफ होते हैं। राज्यों में मुख्यालय पर वित्तीय प्रहरी के समस्त कार्यों की रणनीति, लेखापरीक्षा आयोजना एवं कार्य

योजना तैयार की जाती है। तदनुसार शासकीय धन के प्रहरियों की ऑडिट टोली बनायी जाती है; जो राज्य के सरकारी, अर्द्ध-सरकारी तथा अन्य संस्थानों के राजस्व प्राप्ति एवं व्यय के अभिलेखों की जांच करती है। उस पर अपनी रिपोर्ट के रूप में लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन राज्य मुख्यालय को प्रस्तुत करती है और आलेख प्रस्तर, विषयक लेखापरीक्षा रिपोर्ट एवं निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट को राज्य के प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार के अनुमोदन के पश्चात नई दिल्ली, कैग के अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जाता है।

शासकीय धन के प्रहरियों की ऑडिट टोली में कम से कम चार सदस्य होते हैं; जिनमें दल नायक के रूप में वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/लेखापरीक्षा अधिकारी, दल सदस्य के रूप में दो सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी व एक वरिष्ठ लेखापरीक्षक/लेखापरीक्षक अथवा एक सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी व दो वरिष्ठ लेखापरीक्षक/लेखापरीक्षक होते हैं। जिस दिन ऑडिट टोली को ऑडिट के लिए मुख्यालय से प्रस्थान का आदेश मिलता है; उस दिन से ये वित्तीय प्रहरी दल अपने बाल-बच्चों एवं परिवार को छोड़कर राज्य के किसी भी हिस्से में सरकारी, अर्द्ध-सरकारी एवं अन्य संस्थानों/कार्यालयों के अभिलेखों की वित्तीय जांच के लिए एक फेरी में तीन माह के लिए फील्ड की तैनाती में चले जाते हैं; जैसे सेना के जवान अपने बाल-बच्चों एवं परिवार को छोड़कर एक लम्बे अरसे के लिए सरहद की रक्षा के लिये चले जाते हैं। चाहे तीव्र जाड़ा हो या बरसात, या फिर प्रचण्ड गर्मी, बारहों मास ये वित्तीय प्रहरी शासकीय धन की रक्षा हेतु हमेशा सजग एवं तत्पर रहते हैं। दल को मैदानी क्षेत्रों के सरकारी, अर्द्ध-सरकारी तथा अन्य संस्थानों के कार्यालयों के साथ-साथ कभी उच्च हिमालय के जिलों-कस्बों व गहरी घाटियों में अवस्थित सरकारी कार्यालयों और कभी दुर्गम क्षेत्रों के स्कूल-कॉलेजों का ऑडिट करने जाना होता है। ऑडिट पार्टियां कभी सरकारी, कभी प्राइवेट बस और कभी टैक्सी से यात्रा करते हैं और इस प्रकार विभिन्न कठिनाईयों के साथ सरकारी कार्य का निर्वहन करते हुए वे लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों को अपने राज्य मुख्यालय को भेजते हैं। कार्य के प्रति उनकी कर्तव्यनिष्ठा एवं ईमानदारी के परिणामस्वरूप ही वित्तीय प्रहरी का कार्य सुसम्पन्न होता है।

हमारे दौर से पूर्व के सीनियर्स कहा करते थे कि एक समय था, जब ऑडिट कार्य में जाने के लिए एक जंग में जाने का जैसा था। उस समय यातायात/आवागमन के साधन सीमित एवं कठिन थे। ऑडिट पार्टियों को ऑडिट के लिए बड़े शहरों तक रेल गाड़ी से, छोटे शहरों तक सरकारी बसों से और छोटे कस्बों तक तांगे व बैलगाड़ी से सफर करना पड़ता था। उस जमाने में प्राइवेट वाहन और टैक्सी बहुत कम चलती थी। वह आवागमन का एक महंगा साधन था और ऑडिट पार्टियों के टी॰ए॰, डी॰ए॰ के दायरे से बाहर की बात थी। उस जमाने में ऑडिट पार्टियां जिस शहर व कस्बों के सरकारी कार्यालयों में ऑडिट करने जाते थे, बड़े शहरों को छोड़कर, छोटे शहरों व कस्बों में ठहरने की बड़ी समस्या थी। आज की तरह

बहुतायत में होटल और लॉज नहीं थे, इसलिये अधिकतर ऑडिट पार्टियां आश्रम, सराय व धर्मशालाओं आदि में अपनी ठहरने की व्यवस्था करती थी। उस समय शहर-कस्बों के हर स्थान पर भोजनालय नहीं मिलता था। इसलिए ऑडिट मुख्यालय द्वारा हर ऑडिट पार्टी सदस्यों के साथ एक चपरासी की तैनाती की जाती थी और हर पार्टी के लिए एक बक्सा/सन्दूक भेजा जाता था; उसमें खाना बनाने के बरतन-स्टोव एवं खाद्य सामग्री आदि होते थे। फील्ड पार्टी में तैनात चपरासी सुबह-शाम बावर्ची/कुक का काम करता था यानी ऑडिट पार्टी के लिये खाना बनाता था और दिन में कार्यालय में विधिवत चपरासी का कार्य करता था।

शायद इन्हीं कठिनाईयों के मद्देनजर जब ऑडिट पार्टियों की कोई नया सदस्य सबसे पहले फील्ड में लेखापरीक्षा कार्य हेतु तीन महीने के लिए जाता था, तो जिस दिन उसे यात्रा हेतु घर से रवाना होना होता था; उस दिन उसके भाई-बिरादर, नाते-रिश्तेदार, और मोहल्ले वाले सभी स्टेशन तक छोड़ने जाते थे और उसे आँखों में आँसुओं के साथ शुभकामना देते हुए ऑडिट कार्य हेतु विदा करते थे; जैसे आर्मी के कोई सिपाही अपने घर से फ्रन्ट में तैनाती के लिए जा रहे हों।

अस्सी के दशक के हमारे दौर में भी ऑडिट कार्य हेतु फील्ड तैनाती एक कठिन तैनाती मानी जाती थी। हालांकि हमारे समय तक देश में यातायात/आवागमन बहुत हद तक सुगम हो गया था। मैदानी क्षेत्रों में लगभग हर बड़े शहर रेल से जुड़ गये थे। सरकारी बसों के साथ प्राइवेट बस भी उपलब्ध हो गयी थी और छोटे वाहन विक्रम, गणेश मार्का आटो, थ्री व्हीलर, मैक्सी कैब एवं टैक्सी आसानी से मिलने लग गयी थी। तब भी छोटे कस्बों के सरकारी कार्यालयों एवं अन्य कार्यालयों तक लेखापरीक्षा हेतु पहुँचने के लिए यदा-कदा तांगे व बैलगाड़ी से जाना पड़ता था और लगभग हर शहर-कस्बों में भोजनालय भी उपलब्ध हो गये थे एवं होटल, लॉज एवं धर्मशालाएं भी बहुतायत में खुल गये थे।

वास्तव में, उस कठिन दौर से आज तक देश के वित्तीय प्रहरी-कैग के मुख्यालय, राज्य मुख्यालय एवं ऑडिट पार्टियों का एक-एक सदस्य संविधान प्रदत्त लेखापरीक्षा शक्तियों से लैस अपनी कलम से देश के धन एवं उसकी सम्पदा की रक्षा सजगता, कर्तव्यनिष्ठा, लगन, मेहनत एवं ईमानदारी से करके राष्ट्र की सेवा करता आ रहा है।

हालांकि वर्तमान दौर कम्प्यूटर एवं सुपर कम्प्यूटर का युग है और समस्त कार्य कम्प्यूटर में ही करने की होड़ मची है। परन्तु कैग के सरकारी धन और उसकी सम्पदा से सम्बन्धित अभिलेखों की ऑडिट/जांच पड़ताल करने का परम्परागत तरीका आज की तारीख में भी पूर्ववत् प्रासंगिक व सफल है और सबसे विश्वसनीय भी। कैग के ऑडिट परिणाम/ऑडिट रिपोर्ट भी देश के सरकारी धन व उसकी सम्पदा के चौकस पहरेदारी का एक बेमिसाल दस्तावेज है और यह अपनी तरीके से अपनी मातृभूमि व देश सेवा का प्रतीक भी है।

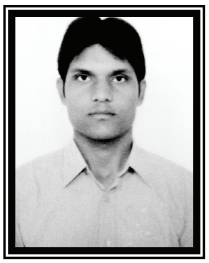

ग़ज़ल

-हरि ओम
लेखापरीक्षक

मेरी मोहब्बत में भी, वो मुकाम आएगा
जब उसकी धड़कनों में, मेरा नाम आएगा।

ख़त के हर लव्ज़ में गिरे, आँसू हिसाब देंगे
उसके नाम जब मेरा, कोई पैगाम आएगा।

बाद मेरे जाने के जब, यहाँ से गुज़रोगे तुम
तो उठते हर कदम पर, मेरा सलाम आएगा।

देर शाम जब तनहाई में, याद करोगे मुझको
आंखो में आँसू, दिल में उफान आएगा।

हौशला दिल में, विश्वास उस मालिक पर रख
किनारा मिलने पर ही, तूफान आएगा।

जिस दिन भजन का सुर, अजान से मिलेगा
अल्लाह पुकारोगे, तो भगवान आएगा।

दुनिया भर में शायद ही ऐसी विकसित साहित्यिक भाषा हो जो सरलता में और अभिव्यक्ति की दक्षता में हिंदी की बराबरी कर सके।

-फादर कामिल बुल्के

जिस देश को अपनी भाषा और साहित्य के गौरव का अनुभव नहीं है, वह उन्नत नहीं हो सकता।

-डा॰ राजेन्द्र प्रसाद

सत्ता एवं लोकतन्त्र

- पी.के. श्रीवास्तव

सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी

लोकतन्त्र शब्द पहली बार मैंने शायद तब सुना होगा जब मैं 5वीं या 6वीं कक्षा में पढ़ता था। तब शायद लोकतन्त्र का मतलब या अर्थ भी नहीं पता था और न इसकी जरूरत ही महसूस हुई। किन्तु ज्यों-ज्यों हमारी शिक्षा बढ़ती गई। यह शब्द बार-बार सामने आने लगा। तब मुझे भी लोकतन्त्र का वास्तविक अर्थ, उसकी उपयोगिता, सार्थकता जानने की इच्छा प्रबल हुई और उसे जानने का प्रयास करने लगा। विभिन्न किताबों, अखबारों इत्यादि में लोकतन्त्र को अलग-अलग ढंग से परिभाषित किया गया। जो सबसे स्पष्ट लोकतन्त्र का अर्थ उभर कर आया वह था कि ऐसा शासन (सरकार) जिसमें लोक (जन) की भागीदारी हो तथा जिसमें सभी फैसले जनहित और जनता की मर्जी के लिए होते हों तथा जहाँ व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति एवं न्याय पाने के लिए स्वतंत्र हो। किन्तु बचपन में पढ़ी या सुनी लोकतन्त्र की दो चीजे मेरे मस्तिष्क में बैठ गईं थी, एक तो 'भारत देश विश्व का सबसे बढ़ा लोकतान्त्रिक देश है' तथा 'भारत जिस पर 1000 से अधिक वर्षों तक विदेशियों का राज रहा एवं उन विदेशियों (अंग्रेजों) से आजाद करा कर भारत को विश्व का सबसे बढ़ा लोकतन्त्र बनाने में कितने ही शहीदों/देशभक्तों ने अपने लहू बहाये और जो शहीद नहीं हुए उन्होनें अपनी ज़िंदगी देश सेवा में बिता दी।' (उदाहरण महात्मा गांधी) पिछले 40 वर्षों से मैं यह समझने को प्रयासरत था कि आजादी के पहले लोकतन्त्र का स्वरूप कैसा रहा होगा और अब आजादी के बाद कैसा है। आजादी के पहले के लोकतन्त्र के परिदृश्य पर बाद में जाते हुए पहले लोकतन्त्र था या नहीं यह चर्चा का विषय हो सकता है। वर्तमान में भारतीय परिवेश को देखते हुए मुझे लोकतन्त्र की परिभाषा जिस रूप में यथार्थ लगती है वह कुछ इस प्रकार है:-

"लोकतन्त्र का अर्थ है ऐसा लोक जिसमें जन (लोक) तंत्र (शासन या सरकार) के अधीन हो एवं बंधा हुआ हो तथा तंत्र (शासन) आजाद बोलने या करने की अभिव्यक्ति में बैठे लोगों का तो होगा किन्तु जन मानस का नहीं।"

आज के सामाजिक एवं शासकीय परिवेश को देखते हुए लोकतन्त्र की बात एकदम बेगानी सी लगती है। चूंकि अंग्रेजो के समय में (हुकुमत में) तो रही नहीं। किन्तु यदि इतिहास के पन्नों को जहां तक मैंने पलटा या जाना है तो ऐसा वर्जन कहीं नहीं मिलता जो या तो मुगलों के समय थे या वर्तमान में। यद्यपि इस सत्य से नकारा नहीं जा सकता कि

अंग्रेजों के शासन में हमें बोलने की आज़ादी कम थी एवं अंग्रेजी ज़ुल्म कम न थे किन्तु यह ज़ुल्म या शोषण मेहनत, मजदूरी, लगान वसूली या बगावत के खिलाफ थे। किन्तु मेरे समझ में उनके शासन में फिर भी एक पारदर्शिता तथा चरित्र एवं पद की गरिमा थी। वह अपने कानून का भली भांति पालन करते थे (चाहे वह उनके अपने कानून हों) परंतु मुझे यह भी याद रखना चाहिए कि हम उनके समय में गुलाम थे तथा हमें दूसरे सबसे बड़े लोकतंत्र (मिथ्या) का सम्मान प्राप्त नहीं था।

आज लोकतन्त्र शब्द ऐसा मिथ्या लगता है जैसे किसी छोटे बच्चे को ताजमहल दिखाकर कहा जाय कि यह कुतुबमीनार है और बच्चा यकीन कर लेता है। आज लोक (जन) पर तंत्र इस तरह हावी है कि लोक असहाय सा (लकवाग्रस्त) हो गया है। आज तंत्र को चलाने वालों के पास असीमित शक्तियां हैं। जिसका दुरुपयोग वे जब चाहें जैसे चाहें करते हैं। उनके लिए न कोई भाषा की मर्यादा, न अनुशासन की बाध्यता, न कानून को पालन करने का डर एवं न जनता की जबाबदेही है। आज लोक सिकुड़ता (गरीब) एवं तंत्र (शासन सत्ता धारी) फैलता (वैभवशाली) होता जा रहा है। सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों पर गब्बर सिंह का यह डायलॉग सटीक बैठता है, "देश की जेल की ऐसी कोई दीवार नहीं जो गब्बर सिंह को रोक सके"। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिनका जिक्र न करना मुनासिब है (लोकतन्त्र की हालत देखकर) किन्तु मीडिया, टेलीविज़न इत्यादि के माध्यम से रूबरू हुआ जा सकता है। शायद उन शहीदों की आत्मायें भी आज का लोकतन्त्र देखकर तड़प रहीं होगी कि आखिर क्यूँ व्यर्थ में मैंने अपना जीवन गँवाया।

हमारे संविधान व कानून ने भी एक ऐसी व्यवस्था दे रखी है जिसमें जन को मजबूरी में (कोई नहीं का विकल्प न होने के कारण) अपना एक जनप्रतिनिधि चुनना पड़ता है और फिर 5 वर्षों तक वही लोक(जन) जनहित, लोक आज़ादी एवं न्याय की आस में उसी तरह व्यस्थित रहता है जैसे बादलों से पानी की बूंदों के आस में चकोर। शायद लोकतंत्र की मेरी यह परिभाषा इसलिए भी सटीक बैठती है क्योंकि तंत्र को चलाने वाले स्तर पर (सत्ताधारी) ऐसे कई प्रकरण है जो देश को शर्म करने योग्य है तथा लोकतंत्र विरोधी है और यदि विश्व में इसकी तुलना की जाये तो हमारे देश का स्थान भी लज्जित करने वाला होगा। यह कैसा लोकतंत्र जहाँ एक साधारण जन अपनी अभिव्यक्ति को स्वतंत्र नही तथा यदि वह किसी फैसले पर अपनी असहमति व्यक्त करता है तो वह कई संस्थाओं का अपमान हो जाता है और किसी खास (सत्ताधारी) के लिए अधिकार। क्या यह लोकतंत्र का मजाक नहीं?

हम लोकतंत्र (मिथ्या) चलाने वालों को बताना चाहते हैं कि भारत के लोकतंत्र एवं गौरव की रक्षा के लिए एक लोक माँ जब अपना बेटा देश को अर्पण करती है तो उस बेटे को अपने जीवंत तक अनुशासन की सीमा लाँघने की इजाजत नहीं होती तथा वह अपनी

सीमा (दायरे) की रक्षा करते-करते शहीद हो जाता है तो फिर उन आकाओं पर वही अनुशासन या उससे भी सख्त क्योनहीं जिसे पूरा देश कई माँओं ने सौपा हो। लोकतंत्र के सौदागरों ने लोकतंत्र को इस तरह गर्त में पहुँचा दिया है कि फिर लोकतंत्र पर से लोगों को विश्वास खत्म होता जा रहा है और पंकज उदास के इस गजल को

"चिट्ठी आई है – 2, वतन से चिट्ठी आई है।
ऐ परदेश में रहने वाले, तू लौट के घर आजा,"
अपने घर में भी है रोटी ।। चिट्ठी आई है – 2
कुछ इस अंदाज में गुनगुनाने लगें हैं.....

"चिट्टी गई है – 2, वतन से चिट्ठी गई है।
ऐ परदेश में रहने वाले, मुझें भी बुला ले,
मेरे घर (देश) में नही है रोटी।। चिट्ठी गई है – 2

यदि लोकतंत्र को बचाना है तो ऐसी व्यवस्था की कोशिश करनी होगी जिनमें जनप्रतिनिधि – अपने भविष्य के प्रति नही बल्कि लोकतंत्र के प्रति आश्वस्त होने को मजबूर हो। देश का मस्तक तभी ऊँचा रह सकता है जब लोकतंत्र ऊँचा रहें और लोक तंत्र तभी ऊँचा रह सकता है जब जनलोक दृढ संकल्प करें। जनतंत्र की शक्ति पहचानों, अपना देश संभालो।।

"न लोकतंत्र की परिभाषा बदले, न लोकतंत्र हो धूमिल।
लोकतंत्र पर करो सत्ता ऐसी कि लोकतंत्र हो मजबूत"

इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है, क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए ये जरूरी हैं।

-अब्दुल कलाम

शिक्षा सशक्त हथियार है जिससे दुनिया को बदला जा सकता है।

-नेल्सन मंडेला

भाया देहरादून

-अगम सिंह
लेखापरीक्षक

देखे शहर अनेकों, कहीं चैन मिला न सकून।
सब शहरों में मुझे, भाया ये देहरादून।।

बचपन में एक बार मैं, देहरादून घूमने आया था।
मैं भी रहूँगा देहरादून में, दिल में सपना सजाया था।।
प्रभु की हो गयी कृपा और मेरा सपना हो गया पूर्ण।
सब शहरों मे मुझे, भाया ये देहरादून।।

रामराय ने डाला था डेरा, देहरा ये कहलाया।
द्रोणनगरी, शिक्षानगरी, ये देहरादून कहलाया।।
उत्तराखण्ड की राजधानी, ये शहर महत्वपूर्ण।
सब शहरों में मुझे, भाया ये देहरादून।।

ओ.एन.जी.सी., एफ.आर.आई., आई.एम.ए. जैसे संस्थान यहाँ।
टपकेश्वर, संतोला देवी, बौद्धा मंदिर जैसे धार्मिक स्थान यहाँ।।
राजाजी पार्क और फनवैली, मनोरंजन से परिपूर्ण।
सब शहरों में मुझे, भाया ये देहरादून।।

घंटाघर, पलटन बाजार के दृष्य मन को लुभाते हैं।
दूर-दूर से पर्यटक यहाँ पर, सैर सपाटे को आते हैं।।

नेता, अभिनेता या नौकर सब यहाँ पर रहना चाहते हैं।
बड़े घरानों के बच्चे यहाँ पर शिक्षा पाने आते हैं।।
कहे अगम इस शहर में हैं, सुख – सुविधाएँ सम्पूर्ण।
सब शहरों में मुझे, भाया ये देहरादून।।

नारी मन

-हेमलता गुप्ता
लेखापरीक्षक

मैं एक नारी हूँ
क्या यही गुनाह है मेरा?
हजारों बार लोगों ने
निगाहों से, शब्दों से
यह महसूस कराया मुझे।
न जाने कितनी ही बार
तीखे व्यंग्य बाणों की चुभन से
तिल – तिल कर जलाया मुझे।
क्यों कोशिश करते हैं
वो ही लोग
तय करने को मेरा दायरा?
जो न समझ पाये कभी
नारी की मर्यादा का अर्थ
उसका मान, अभिमान, इच्छाएँ, आकांक्षाएँ।
क्यों महसूस कराया जाता है मुझे
इस दोहरी मानसिकता वाले समाज में?
कि मैं हूँ तो सही
मगर दर्जा है मेरा दोयम ही।
और मेरी नियति है
बस बर्दाश्त करना
झुकना और टूट जाना।
सही होने पर भी क्यों
साबित करना पड़ता है मुझे
अपनी सच्चाई को औरों के सामने?
क्यों मेरे आँसुओं को
समझा जाता है मेरा ओछापन
मेरी असहायता, मेरा ओछापन
बजाय समझने के मेरा दर्द?
क्यों मजबूर किया जाता है मुझे
कि मैं सूनूँ तुच्छ मानसिकता वाले
लोगों की बातें और छीटांकशी?
क्या इतना कमजोर है मेरा अस्तित्व
कि हो जायेगा मैला
अगर मैंने लाँघी घर की दहलीज?
इतना तो अधिकार है
मेरा भी कि दे सकूँ
पलटकर जवाब उन्हें
जो पहुँचाते है कष्ट
मेरे आत्मसम्मान को और
ले सकूँ साँस
खुले आसमान के नीचे।
क्यूँ मैं ही दबूँ
मैं ही सहूँ
और जियूँ घुट-घुट कर??
केवल इसीलिये ना
कि मैं भी हूँ
ईश्वर की बनायी
एक नारी .....
जो बेटी है, बहन है,
सखी है, स्त्री है,
देवी, वधू और जननी भी है।
फिर क्यों न हो
मुझे भी अधिकार इस दुनिया में
पंख फैलाकर उड़ने का ?
भूलना मत कभी कि
गंगा भी देवी है, माता है
पर उफान आने पर
मिटा देती है तुम्हारी सभ्यता
तुम्हारा अस्तित्व और अंहकार.....
और याद रखना
अगर किया मजबूर तो
बह जाऊँगी मैं भी
बाँध तोड़कर
सब कुछ मिटाने को
फिर से प्रलय लाने को.....

क्यों न चलें साईकिल की ओर

-प्रभाकर दुबे

लेखापरीक्षा अधिकारी

बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था तक के इस सफर में साथ-साथ चलने वालों तथा सफर को आनन्ददायक एवं सुगम बनाने वालों की तरफ देखने का प्रयास करते हैं तो अन्य सहयोगी जनों एवं साधनों के साथ अर्न्तमन में साईकिल का स्मरण आता है तथा इसे धन्यवाद अर्पित किये बिना नहीं रह सकते और यही कारण है कि साईकिल का आविष्कार करने वाले मैकमिलन को हृदय से सराहने वालों की संख्या करोड़ो में है, चाहे वे उनके नाम से परिचित हों अथवा नहीं। साईकिल ने सामान्य जन के जीवन को जितना सुगम व आसान बनाया एवं अपनी उपयोगिता के कारण जितना लोकप्रिय एवं ग्राह्य हुई उतना लोकप्रिय एवं गाह्य यातायात के किसी अन्य साधन का होना नामुकिन है।

यूँ तो साईकिल का इतिहास अत्यन्त प्राचीन है पर मेरा प्रयास अपने व्यक्तिगत एवं व्यवहारिक अनुभव के आधार पर स्वयं के विस्तार को साझा करना है। इस प्रकार सत्तर से अस्सी के दशक में मोटर से चलने वाले दो पहिया वाहनों की संख्या नगण्य थी एवं ये सर्व सुलभ भी नहीं थे। आर्थिक रुप से सम्पन्न एवं अच्छे पदों पर विराजमान लोगों के लिए ही इनका उपयोग संभव था। आज की युवा पीढ़ी शायद इस तथ्य पर विश्वास न करे पर सच्चाई यही थी। छोटी कक्षा में अध्ययन करने वालों के लिए तो साईकिल छुना अपराध जैसा था। शायद अभिभावक जन इस आशंका से ग्रसित रहते थे कही कोई दुर्घटना न हो जाये। साईकिलो का आकार-प्रकार बड़ा होने के कारण बच्चों के लिए सीट पर बैठकर चलाना आसान नहीं था, फिर भी बच्चे बड़े-बुजुर्गों की नजरें बचाकर साईकिल की सवारी करने से नहीं चूकते थे, भले ही उन्हें बिना सीट पर बैठे ही चलाना पड़े। इस विधा का आनन्द लेने और इस प्रकार साईकिल की सवारी का भरपूर आनन्द प्राप्त करने का सुअवसर मुझे भी कई बार प्राप्त हुआ जिसकी मधुर स्मृति आज भी मानस पटल पर विद्यमान है। मात्र दो पहियों के सहारे संतुलन बनाना और उस पर सवार होकर सीखने के दौरान रफ्तार से चलाना न केवल आनन्ददायक बल्कि रोमांचकारी भी था। पूरे दिन यदि यह सुअवसर प्राप्त हो तो भी न तो मन भरता था और न ही शरीर थकता था। इसके चलाने में प्रवीण होने के कारण 20 से 30 किलोमीटर तक की यात्रा कितनी सरल हो गयी तथा हाट, बाजार, खेत-खलिहान तथा समय-समय पर रिश्तेदारियों में जाना कितना आसान हो गया था एवं इसका सहयोग मिलने के कारण समय की कितनी बचत होती थी, इसे बताने की आवश्यकता नहीं है। इलाहाबाद

में अध्ययन के एवं प्रारम्भ में नौकरी के दौरान साईकिल के सहयोग से समय एवं धन की बचत को नजरंदाज नही किया जा सकता था और यही कारण था कि इन दिनों कार्यालय प्रांगण में बने साईकिल स्टैण्ड में साईकिलों की भरमार तथा उनके देखरेख एवं रखरखाव की उचित व्यवस्था कार्यालय प्रशासन द्वारा करनी पड़ती थी। एक दिन के लिए भी यदि साईकिल साथ न रहे तो ऐसा प्रतीत होता था जैसे सारे कार्य अवरुद्ध हो गये हों तथा कही आना-जाना संभव नही होता था। इसके इस महत्वपूर्ण योगदान के कारण जीवन को सुचारु रुप से संचालित करने के लिए आवश्यक जरुरतों में से यह एक थी।

इस प्रकार गुर्वत के समय जब धन का अभाव था तथा संसाधन अत्यन्त सीमित थे, इस सच्चे सहयोगी के अप्रतिम सहयोग को नकारा जाना उचित नही होगा। अत: यह उचित होगा कि इसकी खूबियां तथा इससे होने वाले लाभ की थोड़ी चर्चा कर ली जाए।

कम पैसे में उपलब्ध होने वाली यह एक ऐसा यातायात का साधन है जो तीस कि॰मी॰ तक के दायरे के आवागमन की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। साईकिल यदि नई हो एवं पहियों में हवा भरपूर हो तो इसे चलाना आसान एवं आनन्ददायक दोनों होता है। इसका रख-रखाव आसान एवं अत्यन्त कम खर्चीला है। महीनें में एक बार आयलिंग-ग्रीसीग ही इसके निर्वाध संचालन के लिए पर्याप्त है। बाजार में चाइनिज पम्पों की उपलब्धता ने इसमें हवा भरने की समस्या भी समाप्त कर दी है। इसका प्रतिदिन 20 से 30 किलोमीटर तक संचालन एक उत्तम व्यायाम है जो शरीर के अधिकतर अंगों को सक्रिय कर देता है तथा हड्डियो एवं मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है जिससे श्रम न करने के कारण होने वाले अस्थि रोगों से दूरी इसके चलाने से होने वाले पसीने के कारण शरीर के अन्दर के विकार दूर होते हैं, मन हल्का तथा प्रफुल्लित होता है। कैलोरी जलने के कारण मोटापे की शिकायत दूर होती है तथा ब्लडप्रेशर चीनी रोग (मधुमेह) एवं हृदयघात की संभावना नगण्य हो जाती है। साईकिल चलाने से बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास आसानी से हो जाता है एवं उनके लिए यह मनोरंजन का उत्तम साधन भी है। बच्चों को साइकिल चलाते हुए देखना माता-पिता तथा परिवार के लोगों के लिए सुख तथा मनमोहक होता है। यह कार्य बच्चों के जीवन पथ पर उपलब्धि के प्रथम सोपान की तरह है।

हमारा देश एक जनाधिक्य प्रधान देश है। यहाँ की जनसंख्या लगभग एक अरब 25 करोड़ को पार कर रही है। बड़ी गाड़ियों तथा ईधन से चलने वाली गाड़ियों की संख्या में बेतहासा वृद्धि जहाँ एक तरफ देश के ऊपर ईधन के अतिरिक्त बोझ की तरह है वही सड़को का उस अनुपात में चौड़ी न होना अनावश्यक भीड़ को आमन्त्रण देता है वही दूसरी तरफ दुर्धटना में भी इजाफा देखा गया है। शहर में बढ़ती आबादी तथा बसावटों में छोटे-छोटे घरो का निर्माण इस बात की कतई इजाजत नहीं देते कि बड़ी गाड़ियाँ तथा भारी दोपहिया वाहन

रखे जाए। यह न केवल घर को भण्डार घर में पर्णित करते हैं वरन् उसमें घूमना-फिरना अत्यन्त कठिन हो जाता है। गलियों में गाड़ियों की भरमार अनायास गली मोहल्लों को कूड़ा घरों में परिवर्तित कर रहे हैं। प्रत्येक सदस्य के लिए अलग-अलग वाहनों की चाहत एवं कम दूरी के लिए भी ईंधन युक्त वाहनों के प्रयोग से परिवार की आर्थिक स्थिति पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ना लाजमी है। इन सभी समस्याओं का निदान अधिक से अधिक साईकिल के प्रयोग से संभव है।

हमारा देश अधिक जनसंख्या वाला देश है। ईंधन से चलने वाली गाड़ियों की बेतहासा वृद्धि चिन्ता का विषय है। जिसका संक्षिप्त वर्णन ऊपर किया जा चुका है। ईंधन की लगातार खपत तथा दूसरे देशों पर इसकी निर्भरता भविष्य के लिए शुभ संकेत नही है। आवश्यकता का ध्यान तो रखना ही है पर केवल दिखावा एवं सुख की अभिलाषा के लिए इसका प्रयोग राष्ट्रहित में नही है। गाड़ियों के अत्यधिक प्रयोग से होने वाले वायु एवं ध्वनि प्रदूषण से होने वाली लगातार पर्यावरणीय क्षति को नजरंदाज किया जाना उचित नही है एवं इसके घातक परिणाम सामने आने लगे हैं। ओजोन परत में छेद, एलर्जी एवं श्वास रोगों में लगातार बढ़ते सड़कों की जाल तथा उसी अनुपात में जंगल एवं वृक्षों का सफाया, कृषि योग्य भूमि का क्रमशः समापन ऐसे कई उदाहरण हैं जो भविष्य की विकटता की तरफ इशारा कर रहे हैं एवं इसके घातक परिणाम से आगाह कर रहे हैं।

साईकिल का पहले की तरह अधिकाधिक प्रयोग न केवल स्वास्थ्य की दृष्टि से हितकर होगा वरन् राष्ट्रहित में भी जरूरी एवं समय की आवश्यकता है। सड़को पर इसके संचालन के लिए सुरक्षित स्थान तथा इसके प्रयोग के लिए समय रहते समुचित प्रचार तथा प्रोत्साहन आवश्यक है। इसे हेय दृष्टि से देखना तथा प्रतिष्ठा एवं गरिमा से जोड़ना कतई उचित नहीं है। साईकिल चलाना गर्व एवं गौरव का विषय है तथा परोक्ष रूप से देश सेवा है। यह तेल क्षेत्र में अपने देश की दूसरे देशों पर निर्भरता को कम करने की दिशा में सार्थक प्रयास है। साधन सम्पन्न होने के बावजूद हमारे चिर प्रतिद्वदी में साईकिल का अधिकाधिक प्रयोग सुनने को मिलता है। साईकिल हमेशा से सहयोगी रही है जीवन के संचालन में इसके योगदान को भुलाया जाना उचित नहीं है। जरूरत इस बात की है कि स्वास्थ्य एवं पर्यावरण की सुरक्षा तथा राष्ट्रहित में इसे अधिक से अधिक लोगों द्वारा अपनाया जाये।

जो बदलाव आप दुनिया में देखना चाहते हैं वह पहले स्वयं में लाएं।

-महात्मा गाँधी

धर्म और वैमनस्यता

-अश्विनी कुमार पाण्डेय
सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी

खामोशियों से घिरे एक शहर से जब हमने पुछा
इतना विरान क्यों है तेरे दरों दीवार
कहां गयीं वो रोशनी से नहायीं गलियां,
चारों ओर लोगों से पटे हुए बाजार,
हर तरफ खेलते बच्चे मुस्कुराती महिलायें,
हाथों में सामान लटकाये पुरूष हजार?
उस शहर ने बड़ी मासुमियत से सुनायी अपनी दास्तान
कि कुछ लोगों ने दो भाइयों को इस तरह लड़ाया
कि अपने भाइयों को ही लोगों ने मौत की नींद सुलाया
जला दिये मकान और दुकान
हर तरफ बिखरे पड़े हैं सामान
क्या कोई धर्म हमें यह भी सिखाता है
सुना है धर्म तो आपस में बैर मिटाता है
फिर क्यों नादान हर बार धर्म की बलि बेदी चढ़ते हैं
कुछ लोग धर्म के नाम पर लड़ते हैं
और हम नादान अपनी तहजीबें भूल लड़ जाते हैं
फिर हमें यह भी याद नहीं रहता कि कल ईद जिनकें साथ गले लगकर थी मनाई
आज उनके ही गले कैसे काट दें भाई
हम यह भी भूल जातें हैं कि दिये जलाते थे दिवाली पर हम साथ-साथ
उनके ही घरों के कैसे बुझा दे चिराग
हम साथ रहकर ही रह सकते है आबाद
वरना विभाजन कारी ताकतें कर देगी बर्बाद
फिर हर शहर मेरी तरह विरान होगा
हर गली और सड़क सुनसान होगा
बम के धमाकों से हर शहर बहरा होगा
हर तरफ बस मौत का पहरा होगा
साम्प्रदायिक ताकतें हमें लड़ाकर खुशियाँ मनायेंगी
और हमारी गंगा जमुनी तहजीब हमेशा के लिए मिट जायेगी।

जिन्दगी

-अजय त्यागी
सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी

जिन्दगी एक रीत है, एक प्रीत है,
जिसे हर दिल को निभाना,
जिन्दगी वो मीठा जहर है,
जिसे हर शय को हंसते – हंसते पी जाना।
जिन्दगी में हर शय को रोते हुए है आना
उसे एक दिन इस जहाँ से हंसते – हंसते जाना।
जिन्दगी वो पतंग है, जिसे हर शय को है उड़ाना
परन्तु उसे पता नहीं कि उसकी जिन्दगी की पतंग को कब है कट जाना।
जिन्दगी के मेलों को हर वर्ष आना परन्तु
अफसोस है, कि हर वर्ष किस शय को इस जिन्दगी के मेले से है चले जाना।
जिन्दगी वो हकीकत है, वो अनबुझी पहेली है
जिसे हर शय के बस में नहीं है समझ पाना
जिन्दगी वो आग का दरिया है जिसे हर शय को हंसते – हंसते है पार जाना।
शय को यह पता ही नहीं उसकी मंजिल कहां है, उसे किस रास्ते पर है जाना
जिन्दगी का हर शय गुलाम है, जिन्दगी बेनाम है,
जिन्दगी सुख-दुख का है नाम।
जिन्दगी का क्या भरोसा, जिन्दगी तो रब की हर शय को है दान
जिन्दगी में बद अच्छा है, बुरा है बदनाम।
जिन्दगी का खेल तो काफी है पुराना
परन्तु देखना है कि हर शय को कितनी दूर है जाना।

हिन्दी हमारे देश की धड़कन है, जिसे देशहित में गतिशील बनाए रखना हम सबकी ज़िम्मेदारी है।

-रामधारी सिंह 'दिनकर'

बेटियाँ

-प्रभाकर दुबे
लेखापरीक्षा अधिकारी

रौनक हैं घर की
करती जतन हैं।
रखती हैं ख्याल सबका
करती यतन हैं।।
कैसे कहूँ ये घर की नहीं हैं।।
फूलों सी कोमल
नाजों से पलती।
आँखो से ओझल
होती नहीं हैं।।
कैसे कहूँ ----------2
माँ की दुलारी
पापा की प्यारी।
दादी दादा की
हैं सबसे प्यारी।।
कैसे कहूँ ----------

माना की एक दिन
जाना इन्हें है।
सभी रवायतें
निभाना इन्हें है।।
दोनों घरों को
सजाती यही हैं।
गैरों को अपना
बनाती यही हैं।।
कैसे कहूँ ----------
सुख में भले ही
दिखती न हों ये।
दु:ख में सदा
ढाल बनती यही हैं।
कैसे कहूँ ----------
हर हाल में मुस्कुराती रहे ये।
कर्तव्य अपना
निभाती रहें ये।।
कैसे कहूँ ----------
कोमल सी मूरत
प्यारी सी सूरत।
महकती चहकती,
खिलखिलाती रहें ये।।
कैसे कहूँ ये घर की -------

व्यथा

-महावीर सिंह रावत,
सहायक लेखाधिकारी
कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
उत्तराखण्ड, देहरादून

कभी मेरा नाम दून की शान से जुड़ा था
तब मैं दून के बागों में बेमिसाल था।
कभी तुम जैसे इंसानों ने मुझे रोपा था
सूखे में सींचा तूफानों से बचाया था।
मिठास से दून का नाम रोशन किया था।
रिश्तों की डोर कभी मैंने भी जोड़ी होगी
खटिया जब छांव में मेरी पड़ी रही होगी।
मेंरे स्वाद का हर कोई दीवाना होता था
चख ले एक बार, बार-बार चखना चाहता था।
जलवा मेरा जून में खूब धूम मचाता था
मैं दून को ही नहीं, सारे भारत को भाता था
जब अपना उत्तराखण्ड अस्तित्व में आया
न जाने क्यों सारा जुल्म मेरे सर मड़राया।
राजधानी दून को बनाकर हुआ मुझ पर हर प्रहार
जहां मैं फूलता-फलता था, वहाँ चली आरों की धार।
ये मजबूरी मेंरी अब मिट गया मेरा अस्तित्व है
जो दून आया रखता यहीं बसने का इरादा है।
मुझे इतना आभास न था, बेरहमी से काटा जाऊँगा।
बीते जमाने की बात होकर, पेजों में सिमट जाऊँगा।
खुश रहना कॉक्रीट वालो, अब रहा नही मेरा निशान
मकाम मेंरा यह न रहा, स्वीकार करो दुआ सलाम।
बहुत जन ऐसे होंगे, जो व्यथा मेरी समझ न पाये होंगे
दून की मीठी लीची, मैं, कितनी बार तुमने बागों से तोड़े होगें।

होली

-अश्विनी कुमार पाण्डेय
सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी

हर तरफ मचा है होली का हुड़दंग
मुरलीधर है रास रचाये राधा रानी संग
ले पिचकारी निकल पड़े गोकुल ग्रामवासी
सब गोपियाँ रंग डाली रही कोई ना बाकी
ऐसा ही मचा है कुछ राजनीति में हुड़दंग
सभी रंगे हुये है अपने-अपने रंग
दिल्ली के चुनाव ने कर दिया सबको दंग
झाड़ू चल गया कमल पर, बीजेपी बजा रही मृदंग
बंदर गुलाटी मार रहे हैं नीतीश और मांझी
सारे नाच नचा दिये, लालू और मुलायम
नये रिश्तों के साथ कर रहे नया शुभारंम
अपने ही रंग में रंगी दिखी दीदी ममता
काहू से नही दोस्ती, भाड़ में जाये जनता
कश्मीर में खिलने चंपा कमल पीडीपी संग
पहले दिन से ही मुफ्ती ने छेड़ी नई जंग
कांग्रेसी तो समझ न पाये होली खेलें किसके साथ
राहुल नानी घर गये, आये न किसी के हाथ
जनता बैठी सोच रही अब तक कुछ ना बोली
मंहगाई ने जला डाली, अरमानों की होली
घर में खाने को नही गुझिया नाही भंग
फिर कैसी होली कैसा होली हुड़दंग
सारे नेता गा रहे, ढोल बजा कव्वाली
भूखे पेट जनता, पीट रही है थाली।

आओ करे पानी संरक्षण

-अजय कुमार मिश्रा
वरिष्ठ लेखापरीक्षक

आज पानी के संरक्षण एवं कचरे के निस्तारण की मांग पूरे विश्व में तो हो ही रही है आऩे वाले कुछ वर्षो में शुद्ध पानी की विकट समस्या का सामना भी करना पड़ेगा, जिस तरह से शुद्ध पानी का अपव्यय हो रहा है, उसका नमूना हमें हर जगह देखने को मिल पायेगा, हम लाखों लीटर पीने वाला पानी घरों की सफाई, मोटरकार एवं मोटरसाईकिल की धुलाई में बहा देते हैं।

वर्तमान में पानी का व्यापार करने वाली कम्पनियां बहुत बड़े पैमाने पर शुद्ध पानी का दोहन कर रहीं है उन पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं हैं। पानी के महत्व को हमें राजस्थान के रेगिस्तान में प्राचीन काल से चली आ रही परम्पराये सीख कर जल संरक्षण की तकनीक को अपनाना चाहिए।

कम बारिश:

इस इलाके में विकास के नाम पर बनायी जाने वाली सड़के, पुल, बिजली, अस्पताल आदि नहीं थीं। यहाँ सबसे कम बारिश होती थी, साल में सिर्फ 16 सेमीमीटर बारिश/भूमिगत जल यहाँ 300 फीट की गहराई पर ही उपलब्ध है। ज्यादातर जगहों पर इस पानी में सेलाइन मिला है। इसलिए यह पीने योग्य नहीं है। लिहाजा आप यहाँ न तो हैडपंप लगवा सकते हैं और न ही कुआँ खुदवा सकते हैं इन इलाकों में बादल बहुत कम आते है पर यहाँ के लोगों ने बादलों को बड़े प्यार से ढेर सारे नाम दिये हैं, स्थानीय भाषा में बादलों के कम से कम चालीस नाम हैं आखिर क्यों बादलों से इतना प्यार करते हैं यहाँ के लोग दरअसल वे पानी की कीमत समझते हैं। वे जानते हैं कि जीवन चलाने के लिए पानी सबसे बड़ी जरूरत है।

रेन वाटर हार्वेस्टिंगः

इन इलाकों के पानी के संचय (रेन वाटर हार्वेस्टिंग) की बड़ी तकनीक है। हम सबके लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक नया कार्यक्रम है, लेकिन रेगिस्तान में रहने वाले समाज के लिए यह कोई कार्यक्रम नहीं, यह तो उनका जीवन है। वे वर्षो से यह काम करते आये हैं। वे बारिश के पानी के संचय के लिए कई तरीके अपनाते हैं वे जमीन में कुंड बनाकर पानी संचय करते हैं इस कुंड को तैयार करते समय वे इस बात का पूरा ध्यान रखते है कि बारिश का पानी बिना बर्बाद हुए सीधे इसके अंदर आए। कई बार इंजीनियर भी बाथरूम में स्लोप बनाने में लापरवाही कर जाते हैं पर गांवों में लोग बेहद सतर्क रहते हैं, ताकि पानी कि एक बूंद भी बरबाद न होने पाए।

खुद का नियमः

जब आप कहीं उद्योग लगाते है, तो आपको रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना पड़ता है। यह नया नियम है ज्यादातर लोग इस नियम को नजरअंदाज करते हैं कई लोग तो झूठ बोल देते हैं कि उन्होनें रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा लिया है जबकि असल में वे इसका प्रबंध नहीं करते है लेकिन रेगिस्तान के गाँव वालों ने खुद नियम बनाया है। यहाँ हर घर में आपको रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम मिलेगा इस सिस्टम को टांका या कुंट करते हैं। वे छत और आंगन के जरिये बारिश के पानी का संचय करते है खास बात यह है कि जल संचय की प्रक्रिया के दौरान सफाई का पूरा ध्यान रखते है यह पानी पूरी तरह से मीठा, साफ और पीने योग्य होता है इनके पानी को किसी फिल्टर की जरुरत नहीं होती है।

जयगढ़ किलाः

जयपुर के पास जयगढ़ किले में रेनवाटर हार्वेस्टिंग का विशाल प्लांट है। यहाँ हर सीजन में करीब 60 लाख गैलन पानी के संचय की व्यवस्था है। यह प्लांट चार सौ साल पुराना है आजकल नई सड़के कुछ साल में ही टूट जाता हैं लेकिन चार सौ साल से पुराना यह प्लांट सही-सलामत है। गाँव वालों की कई पीढ़ियाँ इस प्लांट की रखवाली करती आ रही हैं। इस प्लांट का पानी पूरी तरह से शुद्ध है इसलिए गाँव वाले इसे जीरो बी टाइप वाटर कहते है क्योकि यह पानी सीधे बादल से आता है और यह पूरा डिस्टल वाटर है।

योजना का विकल्पः

सरकार ने बीकानेर में करीब 25-30 वर्ष पहले कई सौ किलोमीटर दूर से नहर के जरिये लोगों को पानी उपलब्ध कराने का फैसला किया। हालांकि लोगों को सरकार की इस योजना पर ज्यादा भरोसा नहीं था, इसलिए उन्होने अपनी परम्परागत जल संरक्षण व्यवस्था जारी रखी। सरकार ने योजना पर करोड़ो रुपये खर्च किए पर योजना विफल हो गयी और हजार साल पहले से चली आ रही रेनवाटर हार्वेस्टिंग की सुविधा अब भी कारगर है।

टाउन प्लानिंगः

असल में टाउन प्लानिंग सिविल इंजीनियरिंग और आर्केटेक्ट का बेहतरीन नमूना है लगभग 800 साल पहले बसाए गये इस शहर के हर घर की छत के ऊपर रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था है दिल्ली और मुंबई जैसे महानगर में लोग टाउन प्लानिंग में खामियों की वजह से बहुत सारी दिक्कतों से जूझते हैं। लेकिन बरसों पहले बनाए गए जैसलमेर में लोगों की जरुरतों का पूरा ख्याल रखा गया है वहाँ पर खूबसूरत तालाब है पानी का स्तर कम हो या ज्यादा हर मौसम में इन तालाबों की खूबसूरती बरकरार रहती है। वे तालाब पूरे साल स्थानीय लोगों को मीठा पानी उपलब्ध कराते हैं।

निर्मल गंगा व अन्य नदियों का वर्तमान स्वरूप

-जतिन राणा
लेखापरीक्षक

भारत जैसी अतुलनीय भूमि में, जहाँ की संस्कृति हजारों सालों में सुदृढ़ होकर विकसित हुई है, वहाँ भारत में बहने वाली नदियों को मातृतुल्य स्थान प्राप्त है। गंगा, यमुना, सरस्वती आदि नदियाँ जिसने इस देश की सभ्यता का विकास करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उसे हमारे मनीषियों ने माँ का दर्जा दिया है। यही कारण है कि देश के तीर्थस्थान इन्हीं नदियों के किनारे स्थापित हुए हैं। प्रमुख पर्व व त्योहारों के अवसर पर हजारों लोग इन पवित्र नदियों में स्नान करने जाते हैं व कुंभ के अवसर पर बेहिसाब जनों का सैलाब उमड़ पड़ता है।

लेकिन इन नदियों के प्रति इतनी आस्था होने के बावजूद भी दूसरा स्वरूप इसके सर्वथा विपरीत है, इसका एक अन्य स्याह पक्ष भी है। आज हमारे देश की नदियाँ मानव की अथाह आकांक्षाओं, स्वार्थ, लालच व जिसे विकास की एक अंधी दौड़ भी कह सकते है, के फलस्वरूप प्रदूषित होती जा रही हैं, जिस कारण हमारे देश में कलकल बहती जीवनदायी नदियाँ स्वतः मृतप्राय होती जा रही हैं।

इस देश की अति पवित्र नदियों में शुमार, जिसे गंगा मैय्या कहा जाता है, वही आज के समय में सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी बन चुकी है। मानवीय हस्तक्षेप के कारण तमाम नदियाँ नैसर्गिक स्वरूप खोती जा रही हैं। गंगा जल की स्वतः निर्मलीकरण की क्षमता का कारण इसमें पाया जाने वाला बैक्टीरियोफेज़ (Bacteriophage) नामक विषाणु है, जो जल में मौजूद अन्य जीवाणुओं को नष्ट कर डालता है, यही कारण है कि कई महीनों तक एक ही पात्र में रखने से भी उसका जल खराब नहीं पड़ता है। वैज्ञानिक परीक्षण से भी सिद्ध हुआ कि स्वच्छ गंगाजल के सेवन से त्वचा रोग, पेट की बीमारियां आदि से मुक्ति मिलती है। परन्तु स्वर्ग का द्वार खोलने वाली यही नदी अब अपने किनारों पर स्थित नगरों, कारखानों व खेतों से निकले अपशिष्ट, अशोधित मल विषाक्त रसायन, कचरों आदि को ढ़ोते-ढ़ोते थक चुकी है तथा मात्र एक सीवर बनकर रह गयी है। गंगा समेत सभी नदियों के किनारो पर स्थित घनी आबादी, उद्योग-धंधे आदि सभी कारक नदियों के प्राकृतिक चक्र को असंतुलित करते जा रहे हैं।

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (CAG) के निर्देशन में पर्यावरण शोध प्रयोगशाला (ERL), लखनऊ ने जल की गुणवत्ता के परीक्षणोपरान्त जल को A, B, C, D, E नामक पाँच श्रेणियों में विभक्त किया है, जो अधोलिखित हैः-

वर्ग A - पीने के लिये उपयुक्त
वर्ग B - स्नान, तैराकी, मनोरंजन के लिये उपयुक्त
वर्ग C - पारम्परिक उपचार के बाद पीने योग्य
वर्ग D - वन्य जीव और मछलियों के लिये उपयुक्त
वर्ग E - सिंचाई, औद्योगिक शीतलन, अपशिष्ट निपटान हेतु उपयुक्त।

ERL प्रयोगशाला के परीक्षण में गंगा व यमुना नदी के जल का वर्गीकरण, वर्ग-D में किया गया है, मतलब साफ है कि गंगा, यमुना का जल का इस्तेमाल वन्य जीवों व मत्स्य पालन हेतु ही किया जा सकता है। भक्तों के स्नान के लिये नहीं।

हालिया वैज्ञानिक शोधों से स्पष्ट हुआ है, कि नदियों समेत तमाम झीलों, तालाबों में जैव ऑक्सीजन माँग बढ़ती जा रही है, जिन्हें बुरे संकेतों के तौर पर देखा जा सकता है। वर्तमान में नई कृषि प्रणाली के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध प्रयोग किया जा रहा है, जो कि जल के साथ मिलकर नदियों में पहुँच जाते है। इन्हीं पोषक तत्वों के अत्यधिक सांद्रण होने के कारण 'युट्रीफिकेशन' नामक प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है। जिस कारण जलीय भागों में शैवालों (Algae) के साथ जीवाणु (Bacteria) की तीव्र वृद्धि हो जाती है।

नदियों के समीप स्थित नगरों, कस्बों उद्योगों से रोजाना लाखों लीटर मल-जल व रोगजन्य पदार्थ नदियों में प्रवाहित किये जा रहे हैं, जो जल में कोलिफार्म नाम जीवाणुओं की संख्या बढ़ा रहे हैं। इन्हीं प्रदूषणों के कारण ही पेयजल में रोगवाहक बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ मानव शरीर में पहुँचकर हैजा, टाइफाइड, त्वचा विकार आदि रोग उत्पन्न कर देते हैं।

अनुचित कर्मकांडो के चलते आम जनमानस द्वारा नदियों में शव, फूल, तेल, पूजा सामग्री आदि नदियों में निसंकोच बहा दिये जाते हैं। किसी को अपने स्वार्थ के समक्ष नदियों का भविष्य नजर नहीं आता हैं। आज जिस तेजी के साथ नदियों का क्षय होता जा रहा है, उतनी ही तेजी के साथ मानव व अन्य जीव जन्तुओं के अस्तित्व पर खतरा बढ़ता जा रहा है।

चूंकि नदियों के साथ हम सभी का अस्तित्व जुड़ा हुआ है। अतः यह हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, कि हम नदियों के महत्व, भूमिका व स्वच्छ नदियों के लाभों के विषय में जनजागरूकता फैलाऐं व उन्हें संरक्षित करने के उपाय तथा प्रयास करें। नदियों में

कचरा आदि फैलाने के स्थान पर निश्चित अंतराल पर नदियों में एकत्रित गोद, प्लास्टिक, प्रदूषित गंदगी निकालकर सफाई की जानी चाहिये। नगरों, कस्बों के समीप वाहित मल शुद्धिकरण (Sewage Treatment) की व्यवस्था कराई जाने की अति आवश्यकता है। इस दिशा में केन्द्र सरकार ने गंगा नदी को शुद्ध, स्वच्छ रखने हेतु 1985 में केन्द्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया तथा गंगा को प्रदूषण से मुक्त रखने के लिए गंगा एक्शन प्लान (GAP) बड़ी आशाओं और अपेक्षाओं के साथ प्रारम्भ किया गया, किन्तु गंगा मैली की मैली ही रह गई। इस कार्य में करोड़ों रूपये गंगा के जल की तरह बहा दिये गये परन्तु सुधार बहुत मामूली हुआ। हाल ही में नमामि गंगे जैसा प्रयास पुनः प्रारम्भ किया जा रहा है।

आज हमारा देश जिस तेजी से विकास पथ पर बढ़ रहा है, उतनी ही तेजी से प्राकृतिक संसाधनों का क्षय हो रहा है। जंगलो व वन्य जीवों के समान ही नदियों को भी आज संरक्षण की आवश्यकता पड़ गई है। गंगा व अन्य नदियाँ जो इस देश की धरोहर हैं उनका संरक्षण किया जाना सिर्फ सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यदि हम सभी में इनके प्रति श्रद्धा है, तो यह हम सबका कर्तव्य है, कि इन नदियों की निर्मलता बनाये रखने का प्रयास करें।

जय गंगा मैय्या!

चुटकुला

मनसुख और तनसुख की भर्ती फौज में हो गयी, ट्रेनिंग के दौरान अफसर ने मनसुख के हाथ में पकड़ी बंदूक की ओर इशारा करके पूछा, "जवान यह क्या है?" "सर यह बंदूक है, "मनसुख ने तुरन्त जवाब दिया, "जवान यह बंदूक नहीं इज्जत है, तुम्हारी मां है मां", "अफसर ने उसे मोटिवेट किया, फिर साथ खड़े तनसुख की ओर मुड़ कर पूछा, "जवान, तुम्हारे हाथ में क्या है?"सर, यह मनसुख की मां है और हमारी आंटी, "तनसुख ने अदब से जवाब दिया।

-कल्पना खंडूरी

मेरा गाँव

-अरविंद कुमार उपाध्याय
लेखापरीक्षक

कहीं खो गया मेरा गाँव
हर पल जहाँ होती थी छांव
ठंडी छांव मीठी छांव
पल पल प्रेम बरसाती छांव।
कहीं खो गया मेरा ----------

उस छांव की याद न पूछो,
उस बारिश की बात न पूछो,
जिसमें चलती थी कागज़ की नाव।
कहीं खो गया मेरा ----------

गली वही है, वही डगर है,
हरसू तपता जिस्म मगर है,
बेफिक्र नहीं अब चलते पाँव।
कहीं खो गया मेरा ----------

शहद घोलती कानों में बोली,
हर दिन यूं मस्ती की होली,
हर घर जैसे एक सराय।
कहीं खो गया मेरा ----------

सुबह होती थी सबसे प्यारी,
जब गाती थी हर एक क्यारी,
शीतल, मधुर था सभी पड़ाव।
कहीं खो गया मेरा ----------

शायद मस्जिद में कैद खुदा और मंदिर में भगवान,
वरना इतने बेखौफ कैसे घूमा करते हैं शैतान,
ज़ख्म तैरते रहते हैं, भरा नहीं करते अब घाव।
कहीं खो गया मेरा ----------

चुटकुला

पुलिसवाले ने कारवाले को रोका, यह सुरक्षा सप्ताह है, आप बेल्ट पहन कर चला रहे हो, इसलिए आपको 5,000 रुपये इनाम दिया जाता है, आप इस इनाम का क्या करेंगे?
कारवाला: मैं इस इनाम से अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाऊंगा।

राजभाषा हिन्दी

-पवन कोठारी

लेखापरीक्षक

भाषा किसी भी राष्ट्र की संस्कृति एवं सभ्यता का प्रत्यक्ष प्रतिबिम्ब होती है। भाषा न केवल सूचना का आदान प्रदान करने का माध्यम है अपितु यह नागरिकों को एक सूत्र में बाँधने का काम भी करती है। भारत में यह श्रेय हमारी राजभाषा हिन्दी को जाता है। हिन्दी वास्तव में एक ऐसी समृद्ध भाषा है, जिसमे संस्कृत, उर्दू और अन्य भाषाओं का समावेश है।

ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो हिन्दी शब्द का जन्म हिन्द शब्द से हुआ है, और हिन्द अरबों द्वारा सिंधु नदी के आधुनिक भारतीय उपमहाद्वीप को कहा जाता था। तात्पर्य यह हुआ की ऐसी भाषा जो सम्पूर्ण हिन्द का प्रतिनिधित्व करे वह है हिन्दी। अतः हिन्दी न सिर्फ एक भाषा है अपितु यह एक संस्कृति की पहचान भी है। हिन्दी सैकड़ों वर्षों से भारत की जनता को एकसूत्र में बांधती रही है तथा उन्हे अपने विचारों की अभिव्यक्ति हेतु एक सशक्त माध्यम प्रदान करती रही है।

किन्तु दुर्भाग्य है इस राष्ट्र का कि उपरोक्त के बावजूद हिन्दी को वह सम्मान व अपनापन नहीं मिल सका जो कि किसी अन्य देश की भाषाओं को प्राप्त है। जैसे कि सम्पूर्ण चीन की भाषा चीनी है, जर्मनी की जर्मन है, किन्तु सम्पूर्ण हिन्द की भाषा हिन्दी नहीं है। अब इसके कारणो पर दृष्टि डालते हैं।

प्रथम, भारत अनेक राज्यों एवं प्रान्तों में बंटा हुआ है। प्रत्येक राज्य एवं प्रांत की अपनी भाषा है जैसे की बंगाल की बंगाली, गुजरात की गुजराती इत्यादि, अतः ऐसे प्रान्तों को छोड़कर जो उत्तर भारतीय मेखला में आते हैं, अन्य प्रांत प्रांतीय भाषा को हिन्दी के मुक़ाबले प्राथमिकता देते हैं।

द्वितीय, हमारे संविधान ने हिन्दी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी है न कि राष्ट्रभाषा के रूप में । कदाचित यदि हिन्दी को राष्ट्रभाषा घोषित किया जाता तो इस महान भाषा कि इतनी दुर्दशा न होती जितनी कि आज है।

तीसरा यह कि जितनी भी विदेशी ताक़तें हिंदुस्तान में आईं उन्होने अपनी भाषा एवं सभ्यता को इस देश पर थोपने की कोशिश की। उदाहरणस्वरूप मुगलों के समय फारसी को अत्यधिक महत्व दिया गया, जिसने हिन्दी को दरकिनार करते हुए उर्दू भाषा को जन्म

दिया। इसी प्रकार अंग्रेजों के समय अंग्रेजी पूरे देश की भाषा बना दी गयी। अंग्रेजी प्रशासन द्वारा हिन्दी भाषा का दमन करने के प्रयास किए गए । वर्नेकुलर प्रैस एक्ट के तहत हिन्दी एवं अन्य भारतीय भाषाओं में छपने वाली पत्रिकाओं एवं लेखों पर पाबंदी लगा दी गयी। प्रशासनिक एवं शैक्षणिक सुधारों के नाम पर अंग्रेजी को भाषा का माध्यम बनाया गया। रही सही कसर स्वतन्त्रता के बाद सरकार की कमजोर इच्छाशक्ति ने पूरी कर दी, जब संविधान में हिन्दी एवं अंग्रेजी को बराबरी का दर्जा दे दिया गया। ऐसी भाषा जिसने देश की स्वतन्त्रता में अहम योगदान दिया को अपमानित करने के कई उदाहरण हमारे सामने मौजूद हैं, जैसे कि उच्चतम न्यायालय में केवल अंग्रेजी में ही कार्यवाही होती है, हिन्दी भाषियों का असम, तमिलनाडू आदि राज्यों में भेदभाव झेलना, हिन्दी सप्ताह का तमिलनाडू द्वारा विरोध, इत्यादि। इससे प्रतीत होता है कि देश के अंदर ही कई देश मौजूद हैं।

जरूरत है कि प्रत्येक नागरिक हिन्दी भाषा को देश की भाषा के रूप में आत्मसात करे तथा यथासंभव हिन्दी के प्रचार प्रसार में सहयोग करे। इसी प्रकार केंद्र सरकार की भांति हर राज्य व प्रांत में एक राजभाषा विभाग होना चाहिए जो की हिन्दी के प्रयोग, संवर्धन एवं संरक्षण को सुनिश्चित करे। स्कूल, कॉलेज एवं अन्य शैक्षणिक संस्थानों में एक अनिवार्य विषय हिन्दी भी हो ताकि प्रत्येक छात्र इस महान भाषा से जुड़ा रहे। कम्प्युटर के सॉफ्टवेयर हिन्दी में भी उपलब्ध हों जैसे की अन्य देश की भाषाओं में उपलब्ध हैं।

अंत में यही कहना चाहूँगा कि अपने छोटे छोटे किन्तु दृढ़ प्रयासों से ही हम अपनी भाषा को समृद्ध कर सकेंगे। हिन्द का अस्तित्व हिन्दी से ही है।

"जय हिन्द जय हिन्दी"

निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल। बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटै न हिय को शूल।

-भारतेन्दु हरिश्चंद्र

राष्ट्र के एकीकरण के लिए सर्वमान्य भाषा से अधिक बलशाली कोई तत्व नहीं है। मेरे विचार से हिन्दी ही ऐसी भाषा है।

-लोकमान्य तिलक

ग़ज़ल

-विनीत कुमार राही
लेखापरीक्षक

एक फ़कीर शाम ढ़ले, बस्ती में आता है
उसका गीत मुझे, ख़ुद का एहसास दिलाता है।

दरवाज़े पर दस्तक देकर आवाज़ उसकी, सदा में लौट जाती है
न जाने किस उम्मीद में, वो आवाज़ लगाता है।

घर जाकर अपने आपको, महफ़ूज़ समझ बैठा हूँ
उसे भूल गया, जो बिजलियाँ गिराता है।

ये परिंदे ख़ुद नहीं उड़ते, इन्हे ख़ुदा उड़ाता है
बस एक बाज़ार सी है ज़िंदगी अपनी,
कोई ख़रीदने आता है, तो कोई बेचने आता है।

मुझे परवाह नहीं अपने ज़ख्मों की, ये मेरे दोस्त
तेरे ज़ख्मों का दर्द, मुझे हर पल रुलाता है।

अपने लिहाफ में घुसकर, सो जाऊंगा मैं
देखता हूँ कि तू मुझे कैसे, सारी रात जगाता है।

सच तो यह है कि नीदें छिन गयीं, नफ़रतों की शाम में
माँ का वो पुराना गीत ही मुझे, थपकी देकर सुलाता है।

हिन्दी के माध्यम से सारे भारत को एकता के धागे में पिरोया जा सकता है।
-स्वामी दयानन्द सरस्वती

बढ़ती जनसंख्या-घटते संसाधन एक चिंता का विषय

-हरि ओम
लेखापरीक्षक

हम प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं, लोगो के बीच जागरूकता फैलाते हैं, उन्हे बढ़ती जनसंख्या से भविष्य में उत्पन्न होने वाले संकट के बारे में बताते हैं। परन्तु आज तक हम जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्य में कामयाब नहीं हो सके हैं और यह एक अत्यंत चिंता का विषय है, क्योंकि जनसंख्या की लगातार वृद्धि ने विकास के लक्ष्यों को बेअसर कर दिया है। प्रशिद्ध विद्वान थामस रोबर्ट मालथस के सिद्धांतानुसार- "पृथ्वी की पोषण क्षमता सीमित है। अत: प्राकृतिक पारिस्थितिकी के पुनर्भरण की क्षमता के मध्य इसका संतुलित उपभोग करने पर ही पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधन एवं पर्यावरण को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है, अन्यथा जनसंख्या की बेतहाशा वृद्धि प्रकृति के विनाश का कारण वन सकती है।" आज जिस तरह से दुनिया की बढ़ती हुई आबादी की माँग पूर्ति के लिए जिस तरह प्रकृति के नियमों को दरकिनार कर तेजी से शहरीकरण, औद्योगीकरण व मशीनीकरण के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनो का दोहन हो रहा है, उसी का परिणाम है कि हमारी सारी नदियाँ सूखती जा रहीं हैं, समुद्र एवं पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। जल, जंगल एवं जमीन घटते जा रहे हैं, कहीं सूखा तो कहीं बाढ़ का सामना करना पढ़ रहा है। आज जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दो पर विश्वव्यापी बहस छिड़ गयी है।

विश्व की लगभग 17 प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है। जनसंख्या का यह प्रतिशत लगातार बढ़ता जा रहा है और दूसरी तरफ भूमि का भाग स्थिर है। इससे प्रति व्यक्ति भूमि की उपलब्धता भी घट रही है। जिसका सीधा संबंध भविष्य में उत्पन्न होने वाले अनाज संकट से है। भारत की लगभग 75 प्रतिशत जनसंख्या गाँव में निवास करती है। जिसका जीवकोपार्जन मुख्यता कृषि, पशुपालन, वनोत्पादन जैसे प्राथमिक व्यवसायों पर आधारित है। आजादी के बाद भारत सरकार ने खेती की उन्नति के लिए पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से बहुत से प्रयास किए। सिचाई के साधनो का विकास किया तथा भूमि सुधार के माध्यम से खेतिहर भूमि में भी विस्तार किया। जिसके फलस्वरूप खेती योग्य भूमि का काफी विकास एवं विस्तार हुआ परन्तु इसका अपेक्षित लाभ नहीं मिला। जनसंख्या वृद्धि से प्रतिव्यक्ति हिस्सेदारी में भूमि की कमी होती जा रही है और जिसके कारण ग्रामीण जीवन के जीवकोपार्जन के मूलभूत संसाधन घटते चले जा रहे हैं। यही स्थिति जल, ऊर्जा व अन्य संसाधनों की है।

यदि भविष्य में भारत में जनसंख्या की वृद्धि दर यही रहती है तो वह दिन ज्यादा दूर नहीं है जब एक आम आदमी के जीवनयापन के लिए न्यूनतम संसाधन जुटाना भी मुश्किल हो जाएगा। जीवन निर्वाह के सभी मूलभूत प्राकृतिक संसाधन घट जाएंगे, पर्यावरण और अधिक प्रदूषित हो जाएगा और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की पूर्ण क्षमता होने के वावजूद भी मनुष्य के भरण-पोषण की पारिस्थितिकी को नहीं बचाया जा सकेगा। इसलिए अब आवश्यकता इस बात की है कि जनसंख्या का नियंत्रण हो तथा लोगों में इस शिक्षा का प्रचार-प्रसार हो कि हमारे प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं और यह असीमित जनसंख्या का भरण-पोषण नहीं कर सकते। और साथ ही हमे अपने प्राकृतिक संसाधनों के संवर्धन एवं संरक्षण के लिए भी ठोस कार्य योजना बनाने की आवश्यकता है। क्योंकि अंगेजी में एक कहावत है- **Precaution is better than Cure.**

चुटकुला

टीचर ने कुनमुन से पूछा," अगर तुम्हारे मम्मी-पापा का जन्म 1978 को हुआ है, तो इस समय उनकी क्या उम्र होगी?

"मैम, इसका जवाब इस बात पर डिपेन्ड करेगा कि आप पूछ किससे रही है – मम्मी से या पापा से", कुनमुन ने मुस्कुरा कर कहा।

-कल्पना खंडूरी

बिटिया

-हिना सलीम
पर्यवेक्षक

निकाह हुआ जब पूरा, आया समय विदाई का।।
हँसी खुशी सब काम हुआ था, सारी रस्म अदाई का।।
बेटी के उस रूदंन स्वर ने, बाबुल को झकझोर दिया।।
पूछ रही थी पापा तुमने, क्या सचमुच मुझे पराया कर दिया।।
अपने आँगन की फुलवारी, मुझको हमेशा कहा तुमने,
मेरे रोने और नाराजगी को, पल भर भी नही सहा तुमने।।
क्या इस आँगन के कोने में, मेरा कोई वजूद (स्थान) नहीं,
अब मेरे रोने का पापा, तुमको बिल्कुल ध्यान नही।
देखो पराई हो गयी मैं, नही रोकते मेरे चाचा, बाबा, ताऊ,
भैया से भी आस नही, ऐसी क्या रूखाई (निष्ठुरता) कोई आता पास नही।।
बेटी की बातो को सुन के, बाबुल नही रह सका खड़ा, उमड़ पड़े आँखो से आँसू,
बदहवास सा दौड़ पड़ा, लगा लिया बिटिया को गले।
व्याकुल हिरनी से वह बेटी, लिपट पिता से रोती थी,
जैसे यादो के अक्षर से वो, अश्रु बिन्दु धोती थी।
माँ को लगा गोद से मेरी कोई, मानो सब कुछ छीन चला,
फूल भी जो मेरे आँगन की बगिया के कोई उसे अपनी माला में पिरो चला।
बड़ा भाई भी कोने में, बैठा-बैठा सुबक रहा,
उसको कौन करेगा चुप अब, वह कोने में दुबक रहा।।
बेटी के जाने पर घर ने, जाने क्या-क्या खोया है,
कभी न रोने वाला बाबुल भी फुट-फुट कर रोया है।

वर्ष 2014-15 के दौरान सरकारी काम-काज हिन्दी में करने के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित कार्मिकों के नाम

1. श्री पवन कोठारी, लेखापरीक्षक - प्रथम पुरस्कार
2. श्री विजय कुमार, लेखापरीक्षक - द्वितीय पुरस्कार
3. श्री हिमांशु शर्मा, लेखापरीक्षक - द्वितीय पुरस्कार
4. श्री जितेन्द्र सिंह, लेखापरीक्षक - द्वितीय पुरस्कार
5. श्री हसीब अहमद, लेखापरीक्षक - तृतीय पुरस्कार

हिन्दी पखवाड़ा-2014 के दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं के लिए पुरस्कार से सम्मानित कार्मिकों के नाम

निबंध प्रतियोगिता:

1. श्री पवन कोठारी - प्रथम पुरस्कार
2. श्री भारत जोशी - द्वितीय पुरस्कार
3. श्री अशोक कुमार - तृतीय पुरस्कार

कविता पाठ:

1. श्री अरविंद कु॰ उपाध्याय - प्रथम पुरस्कार
2. श्री प्रवीण कु॰ श्रीवास्तव - द्वितीय पुरस्कार
3. श्री मुकेश कुमार - तृतीय पुरस्कार

वाद-विवाद:

1. श्री अश्विनी कु॰ पाण्डेय - प्रथम पुरस्कार
2. श्री लक्ष्मण सिंह -द्वितीय पुरस्कार
3. श्री प्रवीण कु॰ श्रीवास्तव - तृतीय पुरस्कार

अनुवाद प्रतियोगिता:

1. श्री टी॰एस॰ नेगी - प्रथम पुरस्कार
2. श्री अरविंद कु॰ उपाध्याय- द्वितीय पुरस्कार
3. श्री जतिन राणा - तृतीय पुरस्कार

टिप्पण-प्रारूपण:

1. श्री लक्ष्मण सिंह - प्रथम पुरस्कार
2. श्री अश्विनी कु॰ पाण्डेय - द्वितीय पुरस्कार
3. श्री अशोक कुमार - तृतीय पुरस्कार

विदाई

श्री लगन राम, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी – सेवानिवृत्ति की तिथि 30 जून 2015 'प्रयास' परिवार इनके सुखद भविष्य की कामना करता है।

विशिष्ट वर्ग शब्दावली

1.	accumulated losses	:	संचित हानियाँ
2.	acquiring cost	:	अर्जन लागत
3.	adjustment process	:	समायोजन प्रक्रिया
4.	allotment money	:	आबंटन राशि
5.	amalgamation scheme	:	समामेलन योजना
6.	audited balance sheet	:	लेखापरीक्षित तुलनपत्र
7.	avoidable cost	:	परिहार्य लागत
8.	balanced sample	:	संतुलित नमूना
9.	best market rate	:	सर्वोत्तम बाज़ार भाव
10.	booming market	:	चढ़ता बाज़ार
11.	bottom up approach	:	ऊर्ध्वमुखी उपागम
12.	brain drain	:	प्रतिभा पलायन
13.	cumulative income	:	संचयी आय
14.	expeditious	:	शीघ्रतापूर्वक
15.	development scheme	:	विकास योजना
16.	fiscal deficit	:	राजकोषीय क्षमता
17.	fixed assets	:	स्थायी परिसंपत्तियाँ
18.	iso-cost line	:	समानलागत रेखा
19.	labour power	:	श्रम शक्ति
20.	top down approach	:	अधोमुखी उपागम

कार्यालय में स्वच्छ भारत अभियान का एक दृश्य
(श्री पी॰ एस॰ रावत, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी)

राजभाषा विभाग, के॰हि॰प्र॰सं॰ से प्राप्त प्रमाणपत्र को संबंधित कर्मचारी को सौंपते हुए महालेखाकार

ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज बैडमिंटन
टूर्नामेंट, चेन्नई का एक दृश्य

सी॰जी॰डबल्यू॰, देहरादून बैडमिंटन टूर्नामेंट की विजेता टीम
(आई॰ए॰ए॰डी॰ उत्तराखंड, देहरादून)

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग नॉर्थ ज़ोन बैडमिंटन
टूर्नामेंट 2014-15 का एक दृश्य

IA&AD आवासीय परिसर कौलागढ़ का एक दृश्य

कार्यालय में आयोजित टेबल टेनिस प्रतियोगिता का एक दृश्य

महालेखाकार (लेखा व हक.) कवि सम्मेलन के प्रतिभागी को पुरस्कृत करते हुए

भारत के महासर्वेक्षक श्री आर॰एम॰ त्रिपाठी, नराकास की छमाही बैठक के दौरान अधिकारियों को संबोधित करते हुए

वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल श्री अनुभव कुमार सिंह, वरिष्ठ उप महालेखाकार

वृक्षारोपण कार्यक्रम के दौरान श्री सौरभ नारायन, महालेखाकार (लेखापरीक्षा)

स्वतंत्रता दिवस-2015 के अवसर पर उपस्थित अधिकारी-गण

श्री सौरभ नारायन, महालेखाकार
हिन्दी पखवाड़ा का उद्घाटन करते हुए

श्री संतोष कुमार गुप्ता, सहा. लेखापरीक्षा अधिकारी
हिन्दी दिवस – 2014 के मंच का संचालन करते हुए

हिंदी कार्यशाला के दौरान कार्मिकों को जानकारी देते
हुए श्री प्रभाकर दुबे, लेखापरीक्षा अधिकारी

महालेखाकार की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन
समिति की त्रैमासिक बैठक का एक दृश्य

'कवि सम्मेलन' का संचालन करते हुए
श्री मुकेश कुमार, लेखापरीक्षा अधिकारी

28.11.2014 को आयोजित हिन्दी संगोष्ठी के अवसर पर
दीप प्रज्वलित करते हुए डॉ. डी.सी. चमोला, वरि.हि.अ.

सौजन्य से – श्री महेन्द्र सिंह तिवारी

Printed at Shiva Offset Press, Dehradun Ph. 0135-2715748